

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्

(भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 के अधीन गठित)

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
(Constituted under I.M.C.C. Act, 1970)


वार्षिक प्रतिवेदन तथा परीक्षित लेखा
(1987-88)




Annual Report and Audited Accounts
(1987-88)

1-ई/6, स्वामी रामतीर्थ नगर, नई दिल्ली-110055
(1E/6, Swami Ramtirth Nagar, New Delhi 110055)

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्



भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्



भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्
नई दिल्ली - 110055

वार्षिक प्रतिवेदन

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् - भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1978 के अधीन गठित एक संविधिक निकाय है। प्रथम परिषद् का गठन 1971 में किया गया था। भारत के राजपत्र असाधारण भाग - II खण्ड 33 उपखण्ड(II) दिनांक 7-5-1984 में भारत सरकार की अधिसूचना के द्वारा परिषद् का पुनर्गठन किया गया था।

परिषद् के मुख्य कार्य निम्न हैं:-

- (i) भारतीय चिकित्सा पद्धति यथा आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी के पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा के न्यूनतम मानक विहित करना।
- (ii) भारतीय चिकित्सा की चिकित्सीय अर्हताओं की मान्यता से सम्बन्धित विषयों पर केन्द्र सरकार को परामर्श देना।
- (iii) भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका का रख-रखाव और समय समय पर उसे परिशोधित करना।
- (iv) भारतीय चिकित्सा के चिकित्साभ्यास को विनियमित करना और भारतीय चिकित्सा के चिकित्साभ्यासियों के आचरण एवं शिष्टाचार तथा आचार संहिता के मानक विहित करना।

स्थापना वर्ष 1971 से ही केन्द्रीय परिषद् स्नातकीय और स्नातकोत्तर स्तर पर भारतीय चिकित्सा पद्धति अर्थात् आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी की पाठ्यविधि एवं पाठ्यविवरण सहित विभिन्न विनियमों को जारी एवं लागू करती रही है।

भारतीय चिकित्सा पद्धति के लगभग समस्त महाविद्यालय देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध हैं। ये महाविद्यालय परिषद् द्वारा विहित शिक्षा के न्यूनतम स्तर जिनमें पाठ्यविधि एवं पाठ्यविवरण सम्मिलित है का अनुसरण कर रहे हैं।

परिषद् का गठन

केन्द्रीय परिषद् के निम्न सदस्य हैं:-

आयुर्वेद

1. डा. डी. राधाकृष्णमूर्ति
2. डा. पी. बी. शतकोपाचार्य
3. डा. सुकुमार भट्टाचार्य
4. डा. देवव्रत नारायण सिंह
5. डा. महेश्वर पाण्डे
6. डा. इन्द्र मोहन झा
7. डा. अलख नारायण सिंह
8. डा. जनार्दन एन. दवे
9. डा. डी. आर. पटेल
10. डा. कृष्ण चन्द्र शर्मा
11. डा. गुलशन राय शर्मा
12. कविराज भूपेन्द्र नाथ गुप्त
13. वैद्य गौरीशंकर द्विवेदी
14. वैद्य पंचैया होशमठ
15. डा. ए. सी. राहुल कुमार
16. डा. के. माधवन नायर
17. वैद्य पंडित महेशदत्त शर्मा शास्त्री
18. डा. प्रसन्न कुमार जैन
19. वैद्य हरिकृष्ण एस. जोशी
20. डा. एस. आई. नागराल
21. डा. जी. एम. भावसार
22. डा. स्वप्नेश्वर पण्डा
23. वैद्य प्रमोद कुमार तिवारी
24. वैद्य मदन मोहन पुष्करणा
25. वैद्य उदय शंकर शर्मा
26. वैद्य गोकुलेन्द्र शर्मा
27. डा. व्ही. नारायण स्वामी
28. डा. राम प्रकाश गुप्ता
29. डा. हुकम चन्द शर्मा
30. डा. रामकुमार शर्मा
31. डा. प्रेमदत्त शर्मा
32. डा. महेन्द्रदत्त शर्मा
33. डा. आनन्द राय
34. डा. डी. रंगाचारी
35. डा. तरणीकान्त ताल्लुकदार
36. डा. कनकसिंह खीमा भाई झाला
37. डा. पी. शंकरन नायर
38. वैद्य भाग्यवन्ती वर्मा
39. वैद्य एम. पी. पाण्डे
40. डा. सुरेश चन्द्र सक्सेना
41. डा. विजय शंकर त्रिवेदी
42. डा. सच्चिदानन्द उपाध्याय
43. डा. वेणी माधव शास्त्री
44. वैद्य पं. शिवकरण शर्मा छांगाणी
45. वैद्य पी. एच. कुलकर्णी
46. वैद्य एस. जी. फड़के
47. वैद्य श्रीराम शर्मा
48. प्रो. हरिशंकर पाण्डे
49. डा. आर. डी. शर्मा

50. प्रो. रामप्रकाश स्वामी
51. डा. आर. एन. सिंह
52. वैद्य एस. के. मिश्र
53. वैद्य हरिहरनाथ उपाध्याय
54. वैद्य जगन्नाथ मिश्र
55. डा. पी. के. देबनाथ
56. प्रो. आर. सी. चतुर्वेदी
57. वैद्य हरिनारायण स्वामी
58. प्रो. वी. जे. ठाकर
59. डा. रमेश मिश्र
60. आचार्य पी. वी. शर्मा
61. डा. एस. टी. गूजर
62. वैद्य देवेन्द्र कुमार त्रिगुणा
63. कविराज नानक चन्द शर्मा
64. वैद्य के. एस. वारियर
65. डा. बी. ए. हीरेमठ
66. डा. सत्यपाल गुप्ता
67. डा. डी. एल. नारायणा
68. डा. के. सदाशिव शर्मा
69. वैद्य चन्द्र शेखर गौड़
70. कविराज एम. सी. नन्दा
71. वैद्य पी. सी. भट्टाचार्य

यूनानी

72. हकीम मो. अशरफ करीम
73. डा. मदन सरूप गुप्ता

74. हकीम मोहम्मद उमर
 75. हकीम धर्मचन्द
 76. डा. दौलत राम भराज
 77. डा. बन्सीलाल पण्डिता
 78. डा. अब्दुरहमान
 79. हकीम अब्दुल मोबिन खान
 80. हकीम वेद प्रकाश शर्मा
 81. हकीम मोहम्मद इकबाल खान
 82. प्रो. हकीम सैय्यद खलीफथुल्लाह
 83. डा. एम. टी. खान
 84. हकीम मो. अहमद लारी
 85. डा. सैय्यद शाजी हैदर
 86. डा. एस. के. खादरी
 87. प्रो. हकीम मोहम्मद तैय्यब
 88. हकीम एम. ए. रज्जाक
 89. हकीम अब्दुल हमीद
 90. हकीम फैजान अहमद
 91. हकीम फैय्याज आलम
 92. डा. जे. डी. सन्दरवाले
- सिद्ध
93. डा. जी. अन्नास्वामी
 94. डा. सी. पी. रामनाथन
 95. डा. ए. आनन्द कुमार
 96. डा. के. पलानीचामी
 97. डा. पी. केशव पिल्लै

पदाधिकारी

परिषद् के पदाधिकारी निम्न हैं:-

1. प्रो. हकीम सैय्यद खलीफथुल्लाह - अध्यक्ष
2. डा. रामकुमार शर्मा - उपाध्यक्ष (आयुर्वेद)
3. डा. ए. आनन्द कुमार - उपाध्यक्ष (सिद्ध)
4. हकीम एम. ए. रज्जाक - उपाध्यक्ष (यूनानी)
5. डा. एस. आई. नागराल - सभापति, शिक्षा समिति (आयुर्वेद)
6. डा. ए. आनन्द कुमार - सभापति, शिक्षा समिति (सिद्ध)
7. प्रो. हकीम मो. तैय्यब - सभापति शिक्षा समिति (यूनानी)
8. डा. प्रसन्न कुमार जैन - सभापति, पंजीयन समिति
9. वैद्य पं. महेशदत्त शर्मा शास्त्री - सभापति, विनियम समिति

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 9 (1) के अनुसार केन्द्रीय परिषद् की मुख्य समितियाँ हैं:-

1. आयुर्वेद समिति
2. सिद्ध समिति
3. यूनानी समिति

उपर्युक्त समितियाँ भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (क) और (ख) के अधीन निर्वाचित तथा खण्ड (ग) के अधीन मनोनीत आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों से युक्त हैं।

धारा तीन की उपधारा (3) के अधीन आयुर्वेद सिद्ध एवं यूनानी चिकित्सा पद्धतियों के उपाध्यक्ष क्रमशः ऊपर संदर्भित समितियों के सभापति हैं।

ऐसे सामान्य या विशिष्ट निदेशों जो समय-समय पर केन्द्रीय परिषद् के अधीन प्रत्येक ऐसी समिति आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी चिकित्सा पद्धतियों- जैसा भी प्रकरण हो, से सम्बन्धित किसी भी विषय को केन्द्रीय परिषद् की सक्षमता में करने के लिए सम्मिलित हैं।

केन्द्रीय परिषद् ने परिषद् के विभिन्न कार्यों को करने के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 10 के अधीन निम्न समितियों का भी गठन किया:-

कार्यकारिणी समिति

अधिनियम शर्त उसके अधीन विनिर्मित नियमों एवं विनियमों के ढांचे में केन्द्रीय परिषद् द्वारा निर्धारित सामान्य नीति एवं सिद्धान्तों के अनुरूप परिषद् के कार्यों को निपटाने हेतु भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (सामान्य) विनियम 1976 के विनियम 5 के अनुरूप कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया था। समिति भारतीय चिकित्सा की तीनों पद्धतियों अर्थात् आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी से प्रतिनिधित्व की जाती है।

कार्यकारिणी समिति के निम्न सदस्य हैं:-

| | | |
|--------|----------------------------------|------------------------|
| सभापति | 1. प्रो. हकीम सैय्यद खलीफथुल्लाह | - अध्यक्ष, |
| सदस्य | 2. डा. रामकुमार शर्मा | - उपाध्यक्ष (आयुर्वेद) |
| | 3. डा. ए. आनन्द कुमार | - उपाध्यक्ष (सिद्ध) |
| | 4. हकीम एम. ए. रज्जाक | - उपाध्यक्ष (यूनानी) |
| | 5. डा. एस. टी. गूजर | |
| | 6. वैद्य प्रमोद कुमार तिवारी | |
| | 7. वैद्य श्री राम शर्मा | |
| | 8. डा. के. माधवन नायर | |
| | 9. प्रो. हकीम मो. तैय्यब | |
| | 10. हकीम वेद प्रकाश शर्मा | |
| | 11. डा. के. पलानीचामी | |

विनियम समिति

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 के अधीन समय-समय पर आवश्यक केन्द्रीय परिषद् के विभिन्न विनियमों को बनाने तथा उससे सम्बन्धित मामलों पर विचार करने के लिए परिषद् द्वारा विनियम समिति का गठन किया गया।

विनियम समिति में निम्न सदस्य हैं:-

| | | |
|--------|--------------------------------------|----------------------|
| सभापति | 1. वैद्य पं. महेशदत्त शर्मा शास्त्री | |
| सदस्य | 2. प्रो. हकीम सैय्यद खलीफथुल्लाह | (अध्यक्ष) |
| | 3. डा. राम कुमार शर्मा | (उपाध्यक्ष-आयुर्वेद) |
| | 4. डा. ए. आनन्द कुमार | (उपाध्यक्ष-सिद्ध) |
| | 5. हकीम एम. ए. रज्जाक | (उपाध्यक्ष-यूनानी) |
| | 6. वैद्य पी. एच. कुलकर्णी | |
| | 7. वैद्य मदन मोहन पुष्करणा | |
| | 8. वैद्य हरिनारायण स्वामी | |
| | 9. डा. स्वप्नेश्वर पण्डा | |
| | 10. वैद्य पंचैया होशमठ | |
| | 11. डा. महेन्द्रदत्त शर्मा | |
| | 12. डा. जनार्दन एन. दवे | |

13. डा. पी. बी. शतकोपाचार्य
14. डा. महेश्वर पांडे
15. डा. गुलशन राय शर्मा
16. डा. डी. राधाकृष्णमूर्ति
17. डा. जे. डी. सन्दरवाले
18. डा. बन्सी लाल पंडिता
19. डा. अब्दुरहमान
20. हकीम धर्म चन्द

पंजीयन समिति

परिषद् ने अर्हताओं की मान्यता और भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1970 की अनुसूची में विभिन्न चिकित्सीय अर्हताओं को समाविष्ट करने सम्बन्धी मामलों को देखने तथा इस विषय में अनुशांसाएं करने के लिए पंजीयन समिति का गठन किया। पंजीयन से सम्बन्धित विषयों पर विचार करना भी इस समिति के अधिकार में है।

पंजीयन समिति के निम्न सदस्य हैं:-

- | | | |
|--------|-----------------------------------|----------------------|
| सभापति | 1. डा. प्रसन्न कुमार जैन | |
| सदस्य | 2. प्रो. हकीम सैय्यद खलीफ़थुल्लाह | (अध्यक्ष) |
| | 3. डा. रामकुमार वर्मा शर्मा | (उपाध्यक्ष-आयुर्वेद) |
| | 4. डा. ए. आनन्द कुमार | (उपाध्यक्ष-सिद्ध) |
| | 5. हकीम एम. ए. रज्जाक | (उपाध्यक्ष-यूनानी) |
| | 6. डा. आर. सी. चतुर्वेदी | |
| | 7. डा. जी. एम. भावसार | |
| | 8. डा. कृष्ण चन्द्र शर्मा | |
| | 9. वैद्य हरिकृष्ण एस. जोशी | |
| | 10. डा. पी. के. देबनाथ | |
| | 11. डा. प्रेमदत्त शर्मा | |
| | 12. डा. एस. सी. राहुल कुमार | |
| | 13. डा. डी आर. पटेल | |
| | 14. डा. बी. ए. हीरेमठ | |
| | 15. डा. राम प्रकाश गुप्ता | |

16. डा. इन्द्र मोहन झा
17. डा. मदन सरूप गुप्ता
18. डा. एम. टी. खान
19. हकीम मोहम्मद उमर
20. डा. दौलत राम भराज
21. हकीम फैजान अहमद

शिक्षा समितियां (आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी)

शिक्षा समितियां आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी की शिक्षा से सम्बन्धित तमस्त कार्यो को करने में सक्षम है। आयुर्वेद सिद्ध एवं यूनानी शिक्षा समिति के सदस्य निम्न है:-

आयुर्वेद

- | | | |
|--------|-------------------------------------|----------------------|
| सभापति | 1. डा. एस. आई. नागराल | |
| सदस्य | 2. डा. रामकुमार शर्मा | (उपाध्यक्ष-आयुर्वेद) |
| | 3. वैद्य श्री राम शर्मा | |
| | 4. वैद्य देवेन्द्र कुमार त्रिगुणा | |
| | 5. वैद्य पंडित शिवकरण शर्मा छांगाणी | |
| | 6. वैद्य नानक चन्द शर्मा | |
| | 7. वैद्य रामप्रकाश स्वामी | |
| | 8. वैद्य भाग्यवन्ती वर्मा | |
| | 9. डा. रामप्रकाश गुप्ता | |
| | 10. डा. आनन्द राय | |
| | 11. वैद्य एस. जी. फड़के | |
| | 12. डा. हुकम चन्द शर्मा | |
| | 13. डा. पी. शंकरन नायर | |
| | 14. वैद्य एस. के. मिश्र | |
| | 15. वैद्य जगन्नाथ मिश्र | |
| | 16. प्रो. पी. वी. शर्मा | |
| | 17. डा. हरिशंकर पाण्डे | |
| | 18. डा. रमेश मिश्र | |

2. केन्द्रीय परिषद् ने विश्वविद्यालयों द्वारा सफल स्नातकों को प्रदत्त उपाधि के विभिन्न रूपों की विविधता को अंकित और निर्णय लिया कि स्नातकीय और स्नातकोत्तर उपाधियों की नामावली से सम्बन्धित विनियमों के विद्यमान प्रावधान के अनुरोध के साथ समस्त विश्वविद्यालयों को परिचालित किया जाय कि केन्द्रीय परिषद् द्वारा विहित सही नामावली का अनुकूल कठोरता से किया जाय।

3. केन्द्रीय परिषद् ने अंकित किया कि मस्तनाथ आयुर्वेद महाविद्यालय, अस्थल बोहर के प्रबन्धकों ने केन्द्रीय परिषद् नियुक्त परिदर्शन समिति के द्वारा महाविद्यालय का परिदर्शन कराने से इन्कार किया। आयुर्वेद समिति ने मस्तनाथ महाविद्यालय, अस्थल बोहर (रोहतक) के इस व्यवहार की निन्दा की और संकल्प किया कि आयुर्वेद समिति की महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के अधिकारियों को अवगत कराया जाय। केन्द्रीय परिषद् ने परिषद् द्वारा विहित स्नातकोत्तर विनियमों में संशोधन हेतु आयुर्वेद समिति की अनुशंसाओं को निम्न प्रकार से अनुमोदित किया:-

- (i) आयुर्वेद में स्नातकोत्तर उपाधि की नामावलि आयुर्वेद वाचस्पति (एम. डी. आयुर्वेद) और आयुर्वेद धन्वन्तरि (एम. डी. आयुर्वेद) हो।
- (ii) शारीर का प्रश्न-पत्र समान अंकों सहित दो भागों में विभाजित किया जाय, ताकि रचना और क्रिया शारीर दोनों भागों को ध्यान में रखा जाय।
- (iii) स्वस्थवृत्त में एक पूर्णकालीन स्नातकोत्तर उपाधि पाठ्यक्रम का प्रावधान किया जाय और अधिकार पत्र (डिप्लोमा) का प्रावधान रखा जाए। स्वस्थवृत्त में आयुर्वेद वाचस्पति पाठ्यक्रम के लिए प्रश्न-पत्रों के नाम सहित पाठ्यविवरण तैयार किया जाय।
- (iv) प्रश्न-पत्र की भाषा संस्कृत होगी और स्नातकोत्तर शिक्षा का माध्यम प्रथमतः संस्कृत, द्वितीयतः हिन्दी एवं तृतीयतः अंग्रेजी होगा। यह उन विशिष्टताओं में प्रारम्भ किया जाय जहां इनका प्रावधान नहीं है। परन्तु विद्यमान सम्बन्धित संस्था और स्नातकोत्तर विश्वविद्यालय पर निर्भर है कि वे विद्यमान प्रावधानों का लाभ उठाती हैं।
- (v) विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर छात्रों को अतिरिक्त शिक्षण और प्रशिक्षण देने के लिए प्रावधान कर सकते हैं, बशर्ते केन्द्रीय परिषद् द्वारा ऐसी योजना अनुमोदित की जाती है।
- (vi) शल्य क्रिया सम्बन्धी विषयों जैसे शल्य, शालाक्य एवं प्रसूति तंत्र के शिक्षण और प्रशिक्षण में संज्ञाहरण विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान एवं विकिरण निदान पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त यह अधिक अच्छा होगा कि इन विषयों में स्नातकोत्तर अधिकार-पत्र (डिप्लोमा) पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया जाता है। ताकि प्रशिक्षित आयुर्वेद कार्मिकों की संख्या शीघ्र उपलब्ध की जाय।
- (vii) वर्तमान में विहित प्रवेश मापदण्ड में कोई परिवर्तन आवश्यक नहीं है और केन्द्रीय परिषद् द्वारा विहित पाठ्यक्रम को अनुमोदित मानते हुए अर्हताओं की सूची समय-समय पर बनाई जाय तथा मार्गदर्शन हेतु विश्वविद्यालय को भेजी जाये।
- (viii) किसी भी अभ्यर्थी को एक समय में एक से अधिक विषय को पूर्ण करने की अनुमति नहीं होगी।
- (ix) किसी भी अभ्यर्थी को एक बार प्रवेश हो जाने के पश्चात् विषय परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।

केन्द्रीय परिषद् ने वेंकटरमन आयुर्वेद महाविद्यालय, मद्रास में सत्र 1985-86, 1986-87 तथा 1987-88 के लिए स्नातकोत्तर विश्वविद्यालय द्वारा किए गए प्रवेश को अनुमोदित किया। यह भी निर्णय लिया गया कि वेंकटरमन आयुर्वेद महाविद्यालय शीघ्र परिदर्शन किया जाय और यदि परिदर्शन तक केन्द्रीय परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम स्तरों के अनुरूप अपेक्षित सुविधा प्रदान नहीं की जाती हैं तो शैक्षिक सत्र 1988-89 के लिए प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाय।

केन्द्रीय परिषद् ने आयुर्वेद समिति की अनुशंसाओं को अनुमोदित किया कि आयुर्वेदीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का संचालन करने वाले विश्वविद्यालयों से उनके स्नातकोत्तर छात्रों के शोध-प्रबन्धों का सारांश भेजने का अनुरोध किया जाय।

केन्द्रीय परिषद् ने निम्न प्रस्ताव पारित किए:-

आजकल यह देखा जा रहा है कि भारतीय चिकित्सा पद्धति के बहुसंख्यक स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि धारक अपने प्रशिक्षण और सामाजिक प्रतिष्ठा के अनुरूप कार्य प्राप्त नहीं कर रहे हैं। उनके सम्मुख रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं हैं।

इस तथ्य के होते हुए भी कि चिकित्सा जैसे मामले में व्यावसायिक शिक्षा व्यक्ति को स्वयं रोजगार के लिए समर्थ बनाती है, विभिन्न तथ्यों (सीमित से कम आय जिसके अधीन बहुसंख्यक भारतीय रहते हैं सहित) को ध्यान में रखते हुए स्वयं रोजगार वृद्धिगत कठिन होता जा रहा है। इसने आयुर्वेद के स्नातकों में बेरोजगारी को द्विगुणित कर दिया है।

इस समस्या को केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा भी दिसम्बर 1983 में संसद में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए 1983 में माना गया है।

अतः यह अत्यावश्यक है कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के उपक्रमों एवं उद्योगों (केन्द्रीय एवं राज्यों के सार्वजनिक क्षेत्र) जैसे कोल इंडिया, आयल एण्ड नैचुरल गैस कमीशन, भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लि., स्टील अथोरटी आफ इंडिया लि., राज्य बिजली बोर्ड, रोडवेज आदि में रोजगार के अधिक तथा नवीन मार्ग खोले जायें। केवल इसी प्रकार से नव स्नातकों का भविष्य और भारतीय चिकित्सा पद्धति के भविष्य को सुनिश्चित किया जा सकता है।

योजना आयोग पर सातवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के लिए अतिरिक्त निधि देने के लिए तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना (जिसे अभी अंतिम रूप दिया जाना है) में और अधिक धन देने के लिए दबाव डाला जाना आवश्यक है।

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् इस विषय का अत्यन्त दृढ़तापूर्वक अनुभव करती है और सम्बन्धित प्राधिकारियों से अविलम्ब कार्रवाई करने का अनुरोध करती है।

महाविद्यालयों का परिदर्शन:-

वर्ष के दौरान निम्न संस्थाओं/आयुर्वेद महाविद्यालयों का परिदर्शन किया गया-

| क्रम संख्या | महाविद्यालय का नाम | परिदर्शन की तिथि | स्नातकीय/स्नातकोत्तर |
|-------------------------------|--|------------------|----------------------|
| पूना विश्वविद्यालय | | | |
| 1. | बसन्तदादा पाटिल आयुर्वेद महाविद्यालय, सांगली | 2-2-87 | स्नातकीय |
| 2. | आयुर्वेद महाविद्यालय, उस्मानाबाद | 31-1-87 | स्नातकीय |
| 3. | तिलक आयुर्वेद महाविद्यालय, पुणे | 9-5-87 | स्नातकोत्तर |
| बम्बई विश्वविद्यालय | | | |
| 1. | आयुर्वेद महाविद्यालय, सायन, बम्बई | 23-2-87 | स्नातकोत्तर |
| राजस्थान विश्वविद्यालय | | | |
| 1. | मोहता आयुर्वेद महाविद्यालय, सादुलपुर (राजस्थान) | 22-6-87 | स्नातक पूर्व |
| 2. | श्री भंवर लाल दूगड़ आयुर्वेद विश्वभारती सरदार शहर (राजस्थान) | 23-6-87 | स्नातक पूर्व |
| 3. | राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर | 13-10-87 | स्नातकोत्तर |
| 4. | म. मो. मालवीय शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर | 23-9-87 | स्नातकोत्तर |

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी

आयुर्वेद संकाय, चिकित्सा विज्ञान संस्थान,
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी

24-9-87

स्नातकोत्तर

यूनानी

1. केन्द्रीय परिषद् ने अंकित किया कि जैसा कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 के प्रावधानों के अधीन आवश्यक है, यूनानी तिब्ब की स्नातकोत्तर शिक्षा से सम्बन्धित संशोधित विनियमों को केन्द्र सरकार की स्वीकृति के लिए प्रेषित किया गया। केन्द्र सरकार ने अपने पत्रांक 26014/2/87-ए. ई. दिनांक 10-12-87 द्वारा अपनी स्वीकृति प्रदान की।
2. केन्द्रीय परिषद् ने यूनानी चिकित्सा में अधिकार - पत्र (डिप्लोमा) पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के अखिल भारतीय तिब्बी सम्मेलन के प्रस्ताव से सिद्धान्ततः सहमति व्यक्त की। उसका दृष्टिकोण था कि पाठ्यक्रम की अवधि तीन वर्ष और प्रवेश अर्हता हाई स्कूल या समकक्ष प्राच्य परीक्षा होना चाहिए। विशिखानुप्रवेश की अवधि 6 माह होनी चाहिए। यह भी निर्णय लिया गया कि इसके लिए पाठ्यविवरण केन्द्रीय परिषद् द्वारा तैयार किया जाय।
3. केन्द्रीय परिषद् ने यूनानी स्नातकों के लिए जन सांख्यिकी और परिवार कल्याण में शिक्षण/प्रशिक्षण की आवश्यकता अनुभव किया। अतः निर्णय लिया गया कि जन सांख्यिकी, जनन-क्षमता, संगठन एवं प्रशासन विषय सामाजिक एवं प्रतिरक्षा चिकित्सा विभाग को सौंपे जाने चाहिए तथा परिवार कल्याण स्त्री रोग एवं प्रसूति तंत्र विभाग में जाना चाहिए। तथापि चिकित्सा व्यावसायिक परीक्षा में सम्पूर्ण पाठ्यविवरण को आवृत्त करने वाला 100 अंकों का एक प्रश्न-पत्र होना चाहिए।
4. केन्द्रीय परिषद् ने निर्णय लिया कि महाराष्ट्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग से यूनानी और आयुर्वेद पद्धति में भेदभाव दूर करने और दोनों को समान वित्तीय सहायता देने का अनुरोध किया जाय।
5. यह निर्णय लिया गया कि कामिल-ए-तिब्ब-ओ-जराहत पाठ्यक्रम के विहित विनियम के उपबन्ध (6) के प्रथम पैराग्राफ में शिक्षा के माध्यम को निम्नवत् संशोधित किया जाय-
"शिक्षा का माध्यम जहां आवश्यक हो, अंग्रेजी से प्रमाणित ऊर्दू होगा। हिन्दी अथवा क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा की सुविधा प्रदान की जाय और शिक्षा के माध्यम में परिवर्तन अपनाया जाय। बशर्ते, हिन्दी अथवा क्षेत्रीय भाषा में पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराई जायें।"
6. केन्द्रीय परिषद् ने निर्णय लिया कि जिन राज्यों में यूनानी महाविद्यालय नहीं हैं वहां की राज्य सरकार से यूनानी चिकित्सा पद्धति के विकास के लिए कम से कम एक यूनानी महाविद्यालय स्थापित करने का अनुरोध किया जाय ~

महाविद्यालयों का परिदर्शन

वर्ष के दौरान निम्न संस्था का परिदर्शन किया गया:-

| क्रम संख्या | महाविद्यालय का नाम | परिदर्शन की तिथि | स्नातकीय/स्नातकोत्तर |
|-------------|--------------------------------------|------------------|----------------------|
| 1. | हमदर्द तिब्बी महाविद्यालय, नई दिल्ली | 9-2-88 | स्नातकीय |

सिद्ध

1. केन्द्रीय परिषद् ने निर्णय लिया कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा 11 एवं 12 जनवरी 1986 को प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार एवं परिवार कल्याण में भारतीय चिकित्सा पद्धति की संलग्नता पर आयोजित विचारगोष्ठी में जनसांख्यिकी एवं परिवार कल्याण के पाठ्यविवरण को बी. एस. एम. एस. पाठ्यक्रम के सूल मरूथुवम और महालिर मरूथुवम (स्त्री रोग एवं प्रसूति तंत्र) विषयों में सम्मिलित किया जाय, ताकि भविष्य में सिद्ध महाविद्यालयों से निकलने वाले छात्र परिवार कल्याण कार्यक्रम में पूर्ण अवगत और प्रशिक्षित हों।

यह भी निर्णय लिया गया कि उपर्युक्त के अतिरिक्त, सिद्ध चिकित्सा पद्धति के आतुरालयों में नसबन्दी, नलबन्दी, आई. यू. डी. की लघु शल्य क्रियाएं करने हेतु आवश्यक क्रियात्मक प्रशिक्षण का भी प्रावधान किया जाय, ताकि सिद्ध मरूथुवम के स्नातक परिवार, कल्याण के क्षेत्र में ऐसी छोटी शल्य क्रियाएं करने में पूर्णतया सक्षम हों और वे देश की जनसंख्या की समस्या का समाधान करने के योग्य बन सकें।

केन्द्रीय परिषद् ने केरल राज्य में सिद्ध चिकित्सा पद्धति के महाविद्यालय को खोलने के सुझाव को सिद्धान्त रूप से स्वीकार कर लिया। केरल सरकार से इस सम्बन्ध में उचित कार्रवाई करने के लिए अनुरोध करने का निर्णय लिया गया।

केन्द्रीय परिषद् ने निर्णय लिया कि मद्रास में राष्ट्रीय सिद्ध चिकित्सा संस्थान स्थापित करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया जाय। मद्रास में एक सिद्ध चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना बिना किसी कठिनाई के आवस्थिक कार्यक्रम में की जा सकती है और इससे भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् में सिद्ध पद्धति के सदस्यों की संख्या में वृद्धि होगी।

यह अंकित किया गया कि भारत सरकार द्वारा सिद्ध पद्धति को मान्य तो किया गया है, किन्तु इस देश की राजधानी में केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना में सिद्ध औषधालय की स्थापना नहीं की गई है। केन्द्रीय परिषद् दृढ़ता पूर्वक भारत सरकार से देश के समस्त राज्यों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा (सिद्ध) औषधालय की स्थापना के लिए संस्तुति करती है।

केन्द्रीय परिषद् ने अंकित किया कि सिद्ध स्नातकोत्तर शिक्षा से सम्बन्धित विनियमों में विभागानुसार अध्यापक ढांचा का कोई प्रावधान नहीं किया गया है, जबकि आयुर्वेद एवं यूनानी स्नातकोत्तर शिक्षा के अधीन इसका प्रावधान किया गया है। अतः सिद्ध स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए आयुर्वेद एवं यूनानी स्नातकोत्तर शिक्षा के विनियमों के आधार पर अध्यापक ढांचा बनाया गया।

केन्द्रीय परिषद् ने निर्णय लिया कि श्री लंका से आए शरणार्थी थिरू एस. लोगनाथन को बी. एस. एम. एस. के तृतीय वर्ष में प्रवेश की अनुमति दी जाय, ताकि भारत में उनके अध्ययन की अवधि साढ़े पांच वर्ष ही रहे। यह निर्णय लिया गया कि तृतीय वर्ष की परीक्षा में बी. एस. एम. एस. के सिद्ध उपाधि पाठ्यक्रम के तृतीय वर्ष के अन्य छात्रों की भांति प्रविष्ट होना चाहिए।

केन्द्रीय परिषद् ने अंकित किया कि श्री लंका के चार शरणार्थी अभ्यर्थियों ने राजकीय सिद्ध मेडीकल कालेज, पलायमकोट्टई के बी. एस. एम. एस. पाठ्यक्रम में विशेष परिस्थिति के अधीन शिक्षा जारी रखने की अनुमति देने के लिए अनुरोध किया, क्योंकि उन्हें सिद्ध आयुर्वेद महाविद्यालय, जाफना (श्री लंका) में डी. ए. एम. एस. के अन्तिम वर्ष के पाठ्यक्रम को बीच में छोड़ना पड़ा।

यह निर्णय लिया गया कि इन छात्रों को यदि स्थान उपलब्ध हो तो उसी वर्ष में जिसे उन्होंने श्री लंका में उत्तीर्ण किया है, मदुरई कामराज विश्वविद्यालय, मदुरई द्वारा आयोजित प्रवेश टैस्ट उत्तीर्ण करने के पश्चात् प्रवेश दिया जाय।

केन्द्रीय परिषद् ने सिद्ध समिति के सभापति के मार्ग-निर्देशन में सिद्ध तकनीकी शब्दावली के विशेषज्ञ व्यक्ति से परामर्श करते हुए सिद्ध के स्नातकीय और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की पाठ्यविधि एवं पाठ्यविवरण का हिन्दी अनुवाद करने के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के सचिव को प्राधिकृत किया।

यह निर्णय लिया गया कि सिद्ध के स्नातकोत्तर छात्रों को बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा आयुर्वेद के स्नातकोत्तर छात्रों को दी जाने वाली शोधवृत्ति के समान शोधवृत्ति दी जाय। इसके अतिरिक्त स्नातकोत्तर छात्रों को अध्ययन पर्यटन के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जाय। उपर्युक्त अनुशंसाओं के कार्यन्वयन हेतु तमिलनाडु सरकार को भेजा जाय।

केन्द्रीय परिषद् ने भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के सिद्ध चिकित्सा पद्धति के विशेषज्ञों से युक्त एक सिद्ध पाठ्यपुस्तक प्रकाशन समिति गठित करने के लिए भारत सरकार से संस्तुति की जिसमें सिद्ध महाविद्यालय से दो सिद्ध विशेषज्ञ तमिलनाडु सरकार द्वारा जामजद किए जावें।

यह निर्णय लिया गया कि सिद्ध पाठ्य पुस्तकों का अंग्रेजी और हिन्दी अनुवाद करने के लिए हिन्दी और अंग्रेजी अनुवादकों सहित सिद्ध विशेषज्ञों का एक अनुभाग गठित करने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया जाय।

केन्द्रीय परिषद् ने सिद्ध शिक्षा से सम्बन्धित कार्य एवं अन्य विषयों की देखरेख के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के कार्यालय में सिद्ध चिकित्सा के लिए सहायक निबन्धक का पद सृजित करने का संकल्प लिया, क्योंकि वर्तमान में कार्यालय में सिद्ध चिकित्सा के कार्य को देखने के लिए कोई व्यक्ति नहीं है।

केन्द्रीय परिषद् द्वारा वर्ष के दौरान निम्न सिद्ध महाविद्यालयों के परिदर्शन प्रतिवेदन पर विचार किया गया:-

महाविद्यालय का नाम

परिदर्शन तिथि

स्नातकीय/स्नातकोत्तर

कामराज विश्वविद्यालय

राजकीय सिद्ध चिकित्सा महाविद्यालय, पलानी

6-3-86

स्नातकीय

केन्द्रीय परिषद् ने अंकित किया कि परिवार कल्याण कार्यक्रम में भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के चिकित्साभ्यासियों के प्रशिक्षण के प्रश्न पर विचार करने हेतु 15-1-88 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में एक बैठक हुई थी।

उपर्युक्त बैठक की अनुशंसाओं पर भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् की मुख्य समितियों (आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी) द्वारा विचार किया गया। आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी समितियों की अनुशंसाएं निम्न हैं:-

आयुर्वेद समिति

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् की आयुर्वेद समिति राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम में भारतीय चिकित्सा पद्धति के चिकित्साभ्यासियों की संलग्नता के लिए भारत सरकार के प्रयत्नों की सराहना करती है।

आयुर्वेद समिति की राय है कि परिवार कल्याण सम्बन्धी आवश्यक ज्ञान से स्नातकों को सज्जित करने के लिए आयुर्वेदाचार्य पाठ्यक्रम के पाठ्यविवरण की अन्तर्वस्तु पर्याप्त है। विशिखानुप्रवेश के दौरान एक माह के लिए छात्रों को परिवार कल्याण क्लीनिक में अनिवार्य रूप से नियोजित किया जाय। इच्छुक चिकित्साभ्यासी, जो स्वेच्छा से इस क्षेत्र में अथवा सेवारत कार्य करना चाहते हैं को परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र में कम से कम तीन माह का प्रशिक्षण दिया जाय।

प्रत्येक राज्य में कम से कम एक प्रशिक्षण केन्द्र प्रारम्भ किया जाय। वास्तविक छात्रों को चिकित्सीय प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान करने, जरूरत मन्दों को सेवाएं देने के लिए, चिकित्सीय परीक्षण आदि के लिए प्रत्येक अनुमोदित महाविद्यालय में एक परिपूर्ण से परिवार कल्याण चिकित्सालय होना चाहिए।

परिवार कल्याण में स्नातकोत्तर अधिकार पत्र (डिप्लोमा) शीघ्र प्रारम्भ किया जाय। क्षेत्र विशेष के भारतीय चिकित्सा पद्धति के चिकित्साभ्यासियों की संलग्नता को दर्शाने के लिए सूचना प्रसार माध्यम का उपयोग किया जाय।

क्षेत्र विशेष में भारतीय चिकित्सा पद्धति के चिकित्साभ्यासियों की संलग्नता के लिए सूचना माध्यम का उपयोग किया जाना चाहिए।

यूनानी समिति

परिवार कल्याण के क्षेत्र में यूनानी स्नातकों के प्रशिक्षण की उपयोगिता की दृष्टि से यूनानी समिति ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव से सिद्धान्ततः सहमति व्यक्त की। परिवार नियोजन और कल्याण के क्षेत्र में यूनानी स्नातकों की संलग्नता समय की आवश्यकता है और प्रस्तावित कदम राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना में अपना योगदान देंगे।

सिद्ध समिति

परिवार कल्याण के क्षेत्र में सिद्ध स्नातकों के प्रशिक्षण के लिए इस प्रकार के प्रस्ताव से सिद्ध समिति ने सिद्धान्ततः सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की। क्योंकि इससे परिवार नियोजन और कल्याण के क्षेत्र में सिद्ध स्नातकों की संलग्नता की शुरुआत होगी।

केन्द्रीय परिषद् ने उप
के लिए प्रशिक्षण का
ध्यान में रखे।

केन्द्रीय परिषद् ने नि
संख्या में अनुचिकित
उन्हें संचालित करने
करने का निर्णय लिया
चिकित्सा केन्द्रीय परि
कदम उठाए जावें।

केन्द्रीय परिषद् ने नि
पुनश्चर्या पाठ्यक्रम व

केन्द्रीय परिषद् ने वि
लिया, ताकि भारत
विश्वविद्यालय अनुद

केन्द्र सरकार ने केन्द्र
किया और उन्हें भा
विश्वविद्यालयों/संस्
परिषद् अधिनियम,

क्रम संख्या

1. परीक्षा

पद्धति

2. -वर्ष

भारतीय चिकित्सा
के केन्द्रीय रजिस्ट्र
है।

भारतीय चिकित्सा
सुविधा, भवन, व
आवश्यकताओं की
के परिदर्शन से भा

केन्द्रीय परिषद् ने
1988-89 के ति

केन्द्रीय परिषद् ने उपर्युक्त समितियों की अनुशंसाओं को दृढ़ करते समय निर्णय लिया कि भारतीय चिकित्सा पद्धति के स्नातकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम को अन्तिम रूप देते समय कार्यकारिणी समिति आयुर्वेद/सिद्ध/यूनानी समिति की अनुशंसा को भी ध्यान में रखे।

केन्द्रीय परिषद् ने निर्णय लिया कि भारतीय चिकित्सा की संवर्द्धि के लिए यह आवश्यक है कि भारतीय चिकित्सा में पर्याप्त संख्या में अनुचिकित्सीय कार्मिकों को प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक है। ऐसे पाठ्यक्रम तब संचालित किए जा सकते हैं जब उन्हें संचालित करने और प्रशिक्षित कार्मिकों का पंजीयन करने के लिए कोई राष्ट्रीय प्राधिकरण हो। भारत सरकार से यह अनुरोध करने का निर्णय लिया गया कि या तो परिचर्या और भेषज विद् पाठ्यक्रमों का संचालन करने और उन्हें पंजीकृत करने के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् को प्राधिकृत किया जाय अथवा परिचर्या एवं भेषजविद् के लिए अलग परिषद् का गठन करने के लिए कदम उठाए जावें।

केन्द्रीय परिषद् ने निर्णय लिया कि जैसा कि भारतीय चिकित्सा में पहले ही लागू तथा स्वास्थ्य और परिवार ^{कल्याण} मंत्रालय द्वारा अनुसरित पुनश्चर्या पाठ्यक्रम की योजना भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के माध्यम से लागू की जाय।

केन्द्रीय परिषद् ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम को संशोधित करने हेतु भारत सरकार से अनुरोध करने का निर्णय लिया, ताकि भारतीय चिकित्सा को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिकार क्षेत्र में सम्मिलित किया जा सके और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमानों को भारतीय चिकित्सा पद्धति के महाविद्यालयों में लागू किया जा सके।

केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय परिषद् की सलाह पर भारतीय चिकित्सा पद्धति की चिकित्सीय अर्हताओं को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया और उन्हें भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970 की द्वितीय अनुसूची में समाविष्ट किया। वर्ष के दौरान विश्वविद्यालयों/संस्थाओं द्वारा प्रदत्त प्रत्येक के सम्मुख उल्लिखित निम्न चिकित्सीय अर्हताओं को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित किया:-

| क्रम संख्या | प्रदाय निकाय का नाम | अर्हता | वर्ष |
|-------------|--|---|-----------------|
| 1. | परीक्षा निकाय, आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति दिल्ली। | आयुर्वेदाचार्य (बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडीसिन एण्ड सर्जरी) बी. ए. एम. एस. | 1978 से आगे |
| 2. | -वही - | आयुर्वेदाचार्य (आयुर्वेदिक बैचलर ऑफ मेडीसिन एण्ड सर्जरी) ए. बी. एम. एस. | 1975 से 1978 तक |

भारतीय चिकित्सा के केन्द्रीय रजिस्टर का निर्माण और रख रखाव केन्द्रीय परिषद् के मुख्य कार्यों में से एक है। भारतीय चिकित्सा के केन्द्रीय रजिस्टर का निर्माण कार्य प्रगति पर है। केन्द्रीय रजिस्टर को शीघ्र पूर्ण करने के लिए प्रत्येक सम्भव प्रयत्न किया जा रहा है।

भारतीय चिकित्सा पद्धति के महाविद्यालय में विभाग, शिक्षक वर्ग, छात्र-शय्या अनुपात, प्रयोगशाला सुविधा, पुस्तकालय सुविधा, भवन, वनौषधि उद्यान, फार्मसी और आतुरालय सुविधाओं आदि से सम्बन्धित परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम आवश्यकताओं की उपलब्धता का निर्धारण करने के लिए परिषद् अपने परिदर्शकों द्वारा भारतीय चिकित्सा पद्धति के महाविद्यालयों के परिदर्शन से भारतीय चिकित्सा पद्धति की संस्थाओं के न्यूनतम स्तरों को बनाए रखती है।

प्रशासन एवं वित्त

केन्द्रीय परिषद् ने वर्ष 1987-88 के लिए गैर योजना के अधीन राशि रू. 14, 28, 179-82 का संशोधित प्राक्कलन और वर्ष 1988-89 के लिए राशि रू. 18, 15, 400-00 का बजट प्राक्कलन अनुमोदित किया।

परिषद् ने वर्ष 1987-88 के लिए योजना के अधीन राशि रू. 5, 37, 045-12 का संशोधित प्राक्कलन और वर्ष 1988-89 के लिए राशि 9, 00,000-00 का बजट प्राक्कलन अनुमोदित किया।

केन्द्रीय परिषद् ने भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के कार्यालय में सचिव के पद के लिए चतुर्थ केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा संस्तुत तथा केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत संशोधित वेतनमान लागू करने हेतु अनुमोदित किया।

यह भी निर्णय लिया गया कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के सचिव को भारतीय चिकित्सा परिषद् के सचिव के लिए लागू वेतनमान के समान वेतनमान की अनुमति देने के लिए सरकार से पुनः अनुरोध किया जाय।

बजट के साधन

परिषद् द्वारा अनुमोदित तथा भारत सरकार द्वारा प्रदत्त/स्वीकृत वर्ष 1987-88 के बजट प्राक्कलन और संशोधित प्राक्कलन निम्न है:-

| | गैर-योजना | योजना |
|---|--------------|-------------|
| 1987-88 का संशोधित प्राक्कलन (परिषद् द्वारा अनुमोदित) | 14,28,179-82 | 5,37,045-12 |
| 1987-88 का संशोधित प्राक्कलन (मंत्रालय द्वारा दत्त) | 11,73,000-00 | 3,32,000-00 |
| 1988-89 का बजट प्राक्कलन (परिषद् द्वारा अनुमोदित) | 18,15,400-00 | 9,00,000-00 |
| 1988-89 का बजट प्राक्कलन (मंत्रालय द्वारा स्वीकृत) | 13,36,000-00 | 9,00,000-00 |

केन्द्रीय परिषद् एक लघु संगठन है, तथापि इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि भारत सरकार द्वारा विभिन्न वर्गों के आरक्षण को बनाए रखा जाय। केन्द्रीय परिषद् के 30 कर्मचारियों में से विभिन्न वर्गों का आरक्षण निम्नवत् है:-

| | |
|------------------|---|
| अनुसूचित जाति | 4 |
| अनुसूचित जन-जाति | 1 |
| विकलांग | 2 |
| भूतपूर्व सैनिक | 1 |

कार्यालय निदेशक लेखा परीक्षा I केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली-2

गोपनीय

पत्र संख्या ओ. ए. IV/एस. ए. आर./सी. सी. आई. एम./2-7/88-89/1282

दि. 25.11.88

सेवा में,
सचिव, भारत सरकार,
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,
(स्वास्थ्य विभाग), निर्माण भवन,
नई दिल्ली.

विषय:- वर्ष 1987-88 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।
महोदय,

मैं संसद पटल पर रखे जाने हेतु वर्ष 1987-88 के लिये भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के प्रमाणित वार्षिक लेखाओं की प्रति उस पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सहित संलग्न कर रहा हूँ।

2. संसद में यथा प्रस्तुत कागजातों की दो प्रतियां जिस तिथि को उन्हें प्रस्तुत किया गया, उस तिथि का उल्लेख करते हुए इस कार्यालय तथा भारत के लेखा नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली के कार्यालय को भी भेजने की भी कृपा करें। लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र सहित लेखा परीक्षा का हिन्दी अनुवाद परिषद् से हिन्दी में लेखाओं की पांच प्रतियां प्राप्त होने पर भेजा जाएगा।

3. वर्ष 1983-84 से आगे सहायक अनुदान से पेंशन निधि में रू. 2,45,192.88 के अनियमित अन्तरण के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का पैरा 4 मंत्रालय की जानकारी में उनके द्वारा अत्यावश्यक कार्रवाई हेतु विशेष रूप से लाय जाता है। कृपया प्राप्ति सूचित करें।

भवदीय,

ह./-

उप निदेशक, लेखा परीक्षा (निरीक्षण)

क्रमांक-ओ. ए. IV/एस. ए. आर./सी. सी. आई. एम./2-7/88-89/1283

दि.: 25.11.88

प्रतिलिपि प्रमाणित लेखाओं और उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सहित निबन्धक एवं सचिव, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् 1-ई/6, स्वामी रामतीर्थ नगर, नई दिल्ली को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। जिस तिथि को वर्ष 1987-88 के लिये प्रमाणित लेखाओं पर विचार किया गया वह इस कार्यालय को सूचित की जाय। लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद जारी करने के लिए हिन्दी में वार्षिक लेखाओं की 5 प्रतियां इस कार्यालय को भेजने की कृपा करें।

ह./-

उप निदेशक, लेखा परीक्षा (निरीक्षण)

क्रमांक ओ. ए. IV/एस. ए. आर./सी. सी. आई. एम./2-7/88-89/1284

दि.:

प्रतिलिपि लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की प्रति सहित मुख्यालय के पत्रांक 413/रिपोर्ट/ए. बी /157-88 दिनांक 3.11.88 के सन्दर्भ में भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली को अग्रेषित की जाती है। मुख्यालय की टिप्पणियों के उत्तर को सन्निहित करते हुए एक विवरण संलग्न है।

ह./-

उप निदेशक, लेखा परीक्षा (निरीक्षण)

लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र

मैंने भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली के 31 मार्च 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष के लेखाओं और तुलन-पत्र बनाने का काम कर ली है। मैंने सभी अपेक्षित सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं तथा संलग्न लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में दी गई अभ्युक्ति अधीन रहते हुए अपनी लेखा परीक्षा के परिणामस्वरूप मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरी राय तथा मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा मुझे प्राप्त हुए स्पष्टीकरण तथा परिषद् की बहियों में दर्शाए गए उल्लेखों के अनुसार ये लेखा और तुलन-पत्र उपयुक्त रूप से तैयार किए गए हैं और परिषद् के कार्यकलापों का सही और उचित रूप प्रस्तुत करते हैं।

ह./-

केन्द्रीय लेखा परीक्षा I
केन्द्रीय राजस्व

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 25.11.88

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली का वर्ष 1987-88 का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का अभिमत

1. भारतीय चिकित्सा के पाठ्यक्रमों के लिए न्यूनतम स्तर विहित करने, भारतीय चिकित्सा के केन्द्रीय रजिस्टर के अनुरक्षण आदि एवं उससे सम्बन्धित अन्य विषयों के प्रयोजनों हेतु भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 के अधीन भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (केन्द्रीय परिषद्) की स्थापना 1971 में की गई थी। परिषद् ने वर्ष 1987-88 के दौरान गैर योजना के अधीन रू. 11.73 लाख एवं योजना के अधीन रू. 3.32 लाख का अनुदान प्राप्त किया।
2. परिषद् सरकार के अनुमोदन से बनाए गए परिषद् के उपनियमों के अधीन तथा विहित प्रकार में समुचित लेखाओं का अनुकरण करने के लिए है। तथापि, यह बतलाया गया है कि उप नियमों में लेखाओं का प्रकार विहित नहीं किया गया है। परिषद् ने बतलाया (नवम्बर 1988) कि इस विषय में कार्रवाई पहले ही प्रारम्भ की जा चुकी है।
3. परिषद् के मुख्य प्रयोजनों में एक है भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका का अनुरक्षण करना जिसमें उन सभी व्यक्तियों के नाम होने चाहिए जो भारतीय चिकित्सा की किसी भी राज्य पंजिका में तत् समय नामांकित हों और जो मान्य चिकित्सीय अर्हताओं में से कोई धारण करते हों। ऐसा रजिस्टर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 (1872 का 1) के अर्थ में जो कि दस्तावेज समझा जाता है और भारत के राजपत्र में प्रकाशित किसी प्रति द्वारा साबित किया जा सकेगा। किन्तु यह अंकित किया गया कि परिषद् द्वारा ऐसा कोई रजिस्टर नहीं रखा जा रहा है। परिषद् द्वारा यह बतलाया गया कि इस कार्य के लिए मार्च 86 में पद स्वीकृत किए गए थे और दिसम्बर 86 में भरे गए थे। परिषद् ने आगे बतलाया (नवम्बर 1988) कि इस उद्देश्य के लिए एक विशेष दस्ता गठित किया गया है तथा इसके अतिरिक्त समस्त राज्य बोर्डों से उनके राज्य रजिस्टर भेजने का अनुरोध किया गया है। इस सम्बन्ध में हुई प्रगति पर नियमित रूप से नजर रखी जा रही है।

केन्द्रीय परिषद् का अभिमत

1. कोई अभिमत नहीं
2. भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श से सरकार द्वारा अनुमोदित लेखाओं के प्रकार को भेजने हेतु पत्र संख्या 14/88 लेखा दिनांक 28.6.88 के द्वारा भारत सरकार से अनुरोध किया गया है। जैसे ही सरकार द्वारा अनुमोदित लेखाओं के प्रकार प्राप्ति तदनुसार निदेशक, लेखा परीक्षा को सूचित किया जायगा।
3. भारतीय चिकित्सा के केन्द्रीय रजिस्टर के निर्माण के लिए 45,780 कार्ड टंकित किए जा चुके हैं। अधिकांश राज्य मण्डलों के विहित फार्म के अनुरूप भारतीय चिकित्सा के चिकित्साभ्यास राज्य पंजिकाएं नहीं भेजी हैं अर्हताओं में से कोई धारण करते हों रजिस्टर भारतीय प्रत्येक चिकित्साभ्यासी के नाम एवं अन्य विवरणों की जांच सावधानी पूर्वक की जा रही है। इन राज्य मण्डलों को अपनी पंजीकाएं भेजने के लिए नियमित रूप से स्मरण कराया जा रहा है। चिकित्सा के केन्द्रीय रजिस्टर को शीघ्र निर्मित करने के लिए विशेष दस्ता परिषद् के कार्यालय में बनाया गया है। इस विषय पर प्रगति पर सावधानी पूर्वक नजर रखी जा रही है।

4. परिवार पेंशन योजना युक्त पेंशन, मृत्यु एवं निवृत्ति उपदान योजना केन्द्रीय परिषद् में 1 अप्रैल 1983 से प्रारम्भ की गई थी। शर्तों के अनुसार यह योजना यथा 31 मार्च 1983 को अंशदायी भविष्य निधि में नियोक्ता के अंशदान और एतद्विध अंशदानों के निवेश पर प्राप्त ब्याज के कारण परिषद् के पास पहले ही उपलब्ध निधियों से निर्मित किए जाने हेतु पेंशन निधि में से वित्तपोषित की जानी थी। केन्द्रीय सरकार द्वारा पेंशन निधि के विस्तार के लिये कोई अतिरिक्त अनुदान जारी नहीं किए जाने थे। यह पाया गया कि परिषद् ने अपने अंशदायी भविष्य निधि के अंश (शेयर) के रूप में पेंशन निधि में रु. 0.67 लाख स्थानान्तरित किए। 1983-84 से 1986-87 के वर्षों के बीच का विवरण निम्नवत् है-

| | |
|---------|------------------|
| 1983-84 | 14,568.38 |
| 1984-85 | 13,880.50 |
| 1985-86 | 14,656.00 |
| 1986-87 | <u>23,611.00</u> |
| | <u>66,715.88</u> |

उपरोक्त दौरान सहायक अनुदानों में से रु. 42,000-00 की राशि भी पेंशन निधि में स्थानान्तरित की गई थी।

पूर्व वर्षों के लेखा प्रतिवेदन में बतलाए जाने के बावजूद परिषद् ने वर्ष 1987-88 में रु. 1,36,477/-की राशि सहायक अनुदान से पेंशन निधि में स्थानान्तरित की।

इसका परिणाम रु. 2,45,192.88 के दाम पर अनुदानों के अधिक निकास में परिणत हुआ। परिषद् ने बतलाया (नवम्बर 1988) कि रु. 1,36,000.00 (रु. 2,45,192.88 में से) जो वर्ष 1986-87 एवं 87-88 के दौरान सहायक अनुदान से पेंशन निधि में परिवर्तित किया गया, को पेंशन निधि से परिषद् के चालू खाते में स्थानान्तरित कर दिया गया है। परिषद् ने आगे बतलाया कि 1983-84 से एवं आगे नियोक्ता के अंशदान के सम्बन्ध में यह प्रकरण मंत्रालय के साथ उठाया गया है।

निदेशक लेखा परीक्षक I
केन्द्रीय राजस्व

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक : 25.11.88

4. सहायक अनुदान पेंशननिधि में अन्तरित की गई राशि रु. 2,45,192.88 में से रु. 1,36,000.00 (रु. 26,000.00 योजना से एवं रु. 1,10,000.00 गैर योजना से) परिषद् के चालू खाते में स्थानान्तरित कर दिए गए हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक वी. 026019/1/88-ए. ई. दिनांक-24.11.88 के द्वारा रु. 26,000.00 वर्ष 1988-89 के सहायक अनुदान में समायोजित किए जा चुके हैं। रु. 1,10,000.00 (गैर-योजना) के समायोजन के सम्बन्ध में परिषद् ने वर्ष 1988-89 के लिए सहायक अनुदान (गैर-योजना) में समायोजित करने के लिए पहले ही मंत्रालय को परिषद् के पत्र संख्या 10-10/88-लेखा दिनांक 29.12.88 के द्वारा अनुरोध किया है। 1983-84 से 1987-88 तक एवं आगे पेंशन निधि में नियोक्ता के अंशदान के कारण रु. 1,09,192.98 की शेष राशि को नियमित करने के लिए यह प्रकरण पहले ही भारत सरकार के साथ लिया जा चुका है।

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्

नई दिल्ली - 110055

31 मार्च 1988 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्राप्तियों एवं भुगतानों का लेखा

| प्राप्तियां | गैर-योजना | | योजना | |
|--|-----------------|---------------------|-----------|--------------------|
| | राशि | राशि | राशि | राशि |
| <u>1-4-87 को प्रारम्भिक शेष</u> | | | | |
| बैंक ऑफ इण्डिया के चालू खाते में प्रारम्भिक शेष | 49,143-48 | | 14,016-59 | |
| हस्तगत रोकड | 192-00 | | — | |
| हस्तगत डाक टिकटें | — | | — | |
| फ्रैंकिंग मशीन में डाक टिकटें | <u>3,994-52</u> | | — | |
| | — | 53,330-00 | — | 14,016-59 |
| वर्ष 1987-88 के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से प्राप्त सहायक अनुदान | | 11,73,000-00 | | 3,32,000-00 |
| स्पोर्ट्स गुड्स एक्सपोर्ट प्रमोशन परिषद् से प्राप्त विद्युत प्रभार राशि | | 5,538-77 | — | — |
| पुराने समाचार-पत्रों/रद्दी की बिक्री से प्राप्त राशि | | 355-50 | — | — |
| बेकार वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त राशि | | 8,000-00 | — | — |
| बैंक द्वारा 86-87 की प्राप्त राशि | | 0-70 | — | — |
| निम्न श्रेणी लिपिक के पद के लिए प्राप्त आवेदन शुल्क | | 1,310-00 | — | — |
| अग्रणीत शेष | | <u>12,41,534.97</u> | | <u>3,46,016.59</u> |

| | | | | |
|--|---------------|---------------------|----------|--------------------|
| पीछे से लाया गया शेष | | 12,41,534.97 | | 3,46,016.59 |
| सामूहिक बीमा योजना के लिए कर्मचारियों से प्राप्त राशि | | 5,280-00 | | 1,320-00 |
| श्री आर. के. जैन और श्री एस. के. सिंह से आयकर 87-88 जमा कराने के लिए प्राप्त राशि | - | 8,683-00 | - | - |
| वर्ष 86-87 में डा. ए. आनन्द कुमार को अधिक दी गई राशि के विरुद्ध प्राप्त राशि | - | 318-90 | - | - |
| 86-87 में डा. जी. एस. रीना को अधिक दी गई राशि के विरुद्ध प्राप्त राशि | | 283-90 | - | - |
| कर्मचारियों द्वारा निजी टूंक काल व्यय की प्राप्त राशि | - | 136-00 | - | - |
| कर्मचारियों से की गई वसूली | | | | |
| पर्व अग्रिम | 5,120-00 | | 1,960-00 | |
| साईकिल अग्रिम | 240-00 | | | |
| स्कूटर अग्रिम | 8,600-00 | | | |
| साईकिल अग्रिम पर ब्याज | 30-00 | | - | |
| स्कूटर अग्रिम पर ब्याज | <u>145-25</u> | 14,135-25 | <u>-</u> | 1,960-00 |
| सामान्य भविष्य निधि से प्राप्त अर्जित ब्याज | | 17,400-39 | | |
| पेंशन निधि के लिए श्री सूबेसिंह से प्राप्त राशि | | 1,200-00 | | |
| सेवा से त्याग पत्र देने वाले कर्मचारियों का भविष्य निधि आयुक्त से प्राप्त अतिरिक्त मंहगाई भत्ते की राशि | | 3,285-30 | | |
| वर्ष 1986-87 का जमा किया गया भवन किराया | | 23,500-00 | | |
| उचंत खाता | | 759-00 | | 1,221-00 |
| अग्रणीत शेष | | <u>13,16,516-71</u> | | <u>3,50,517-59</u> |

| | | | | | |
|-----|--|-------------|--------------|-----------|-------------|
| 59 | पीछे से लाया गया शेष | 49,096.18 | 5,81,122.35 | 8,260.75 | 1,56,626.40 |
| | विद्युत व्यय | 11,783-83 | | | |
| 400 | बैंक प्रभार | 33-00 | | | |
| | वाहन प्रभार | 3,843-20 | | - | |
| | यूनीफार्म सहित विविध प्रभार | 30,037-25 | | 8,213-90 | |
| | कार्यालय उपकरणों का अनुरक्षण | 12,364-94 | | 3,870-00 | |
| | भवन किराया | 75,983-00 | | - | |
| | विज्ञापन | - | | 3,582-00 | |
| | विधि सम्बन्धी व्यय | - | 1,83,141.40 | - | 36,791-65 |
| | (ख) अनावर्ती व्यय | | | | |
| | पुस्तकालय के लिए पुस्तकें | 825-30 | | | |
| | कार्यालय उपकरण | - | | 84,643-26 | |
| | वातानुकूलित उपकरण | - | 825-30 | 18,655-00 | 1,03,298-26 |
| | विभिन्न बैठकों के लिए सदस्यों/ सचिव/स्थापना अनुभाग के लिए यात्रा/दैनिक भत्ता | | | | |
| | अध्यक्ष/सचिव/स्थापना अनुभाग | 26,868-25 | | | |
| 400 | परिषद् के सदस्यों को | 1,43,809-50 | | | |
| | कार्यकारिणी समिति के सदस्यों को | 30,809-50 | | | |
| | शिक्षा समिति (आयु.) के सदस्यों को | 24,070-00 | | | |
| | शिक्षा समिति (यूनानी) के सदस्यों को | 24,786-00 | | | |
| | शिक्षा समिति (सिद्ध) के सदस्यों को | 2,424-00 | | | |
| | पंजीयन समिति के सदस्यों को | 23,601-00 | | | |
| | उप-समिति के सदस्यों को | 26,569-00 | | | |
| 400 | परिदर्शन समिति के सदस्यों को | 24,207-90 | 3,29,145-15 | | |
| | | | | | |
| 59 | अग्रेनीत शेष | | 10,94,234.20 | | 2,96,716.31 |

पीछे से लाया गया शेष

13,16,516-71

3,50,517-59

कुल

13,16,516-71

3,50,517-59

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्

नई दिल्ली-110055

31 मार्च 1988 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय-व्यय का लेखा

| व्यय | गैर-योजना | | योजना | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | राशि | राशि | राशि | राशि |
| 1. वेतन और भत्ते | | | | |
| अधिकारियों का वेतन | 39,730.00 | | - | |
| कर्मचारियों का वेतन | 3,51,017.60 | | 1,08,433.00 | |
| मंहगाई भत्ता | 54,813.70 | | 12,421.20 | |
| गृह भाटक भत्ता | 86,838.50 | | 24,000.00 | |
| नगर प्रतिकरात्मक भत्ता | 14,468.45 | | 4,320.00 | |
| धुलाई भत्ता | 1,035.00 | | 315.00 | |
| अन्तरिम सहायता | 1,125.00 | | - | |
| बोनस | 20,197.20 | | 4,799.00 | |
| चिकित्सा प्रतिपूर्ति | 168.55 | | 2,338.20 | |
| अतिकालिक भत्ता | 1,177.25 | | - | |
| अध्ययन शुल्क प्रतिपूर्ति | 70.00 | | - | |
| अवकाश यात्रा रियायत | 4,195.80 | | - | |
| अध्यक्ष के निजी सचिव का वेतन | 3,000.00 | | - | |
| सेवामुक्त कर्मचारियों को अतिरिक्त मंहगाई भत्ते की अदायगी | 3,285.30 | 5,81,122.35 | - | 1,56,626.40 |
| 11. आकस्मिक व्यय | | | | |
| लेखन सामग्री | 17,030.56 | | 3,129.75 | |
| दूरभाष | 18,622.80 | | 1,531.00 | |
| डाक एवं तार | 8,577.97 | | - | |
| समाचार-पत्र एवं आवधिक पुस्तकें | 2,538.35 | | 3,600.00 | |
| मुद्रण व्यय | 2,326.50 | | - | |
| अग्रेनीत शेष | 46,769.68 | 5,81,122.35 | 8,260.75 | 1,56,626.40 |

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्

नई दिल्ली-110055

31 मार्च 1988 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय-व्यय का लेखा

गैर-योजना

योजना

| आय | राशि | राशि | राशि | राशि |
|---|--------------|--------------|-------------|-------------|
| वर्ष 1987-88 के दौरान | | | | |
| स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से प्राप्त सहायक अनुदान | 11,73,000.00 | | 3,32,000.00 | |
| घटाएं-पूँजीगत अनुदान | 825.30 | 11,72,174.70 | 1,03,298.26 | 2,28,701.74 |
| श्री आर. के. जैन और श्री एस. के. सिंह. से आयकर 87-88 जमा कराने के लिए प्राप्त राशि | - | 8,683.00 | | |
| <u>विविध प्राप्तियां</u> | | | | |
| स्पोर्ट्स गुड्स एक्सपोर्ट प्रमोशन परिषद् से प्राप्त विद्युत प्रभार | 5,538.77 | | | |
| पुराने समाचार-पत्रों/ रद्दी की बिक्री से | 355.50 | | | |
| बेकार वस्तुओं की बिक्री से | 8,000.00 | | | |
| वर्ष 1986-87 के लिए बैंक से | 0.70 | | | |
| निम्न श्रेणी लिपिक के पद से लिए प्राप्त आवेदन शुल्क से | 1,310.00 | | | |
| सामूहिक बीमा योजना से | 5,280.00 | | | 1,320.00 |
| डा. जी. एस. रीना से अधिक की वसूली | 283.90 | | | |
| निजी ट्रंक काल प्रभार से | 136.00 | | | |
| सामान्य भविष्य निधि से प्राप्त ब्याज | 17,400.39 | | | |
| श्री सूबेसिंह से प्राप्त पेंशन की राशि | 1,200.00 | | | |
| भविष्य निधि आयुक्त से प्राप्त अतिरिक्त मंहगाई भत्ता | 3,285.30 | | | |
| अग्रणीत शेष | 42,790.56 | 11,80,857.70 | — | 2,30,021.74 |

| | | | | |
|--|-------------|--------------|-----------|-------------|
| पीछे से लाया गया शेष | 46,769.68 | 5,81,122.35 | 8,260.75 | 1,56,626.40 |
| विद्युत व्यय | 11,783.83 | | - | |
| बैंक प्रभार | 33.00 | | - | |
| वाहन प्रभार | 3,843.20 | | - | |
| यूनीफार्म सहित विविध प्रभार | 30,037.25 | | 8,213.90 | |
| भवन किराया | 75,983.00 | | - | |
| कार्यालय उपकरणों का अनुरक्षण | 12,364.94 | | 3,870.00 | |
| विज्ञापन | - | | 3,582.00 | |
| विधि सम्बन्धी व्यय | - | 1,83,141.40 | 12,865.00 | 36,791.65 |
| विभिन्न बैठकों के लिए सदस्यों/सचिव स्थापना अनुभाग के लिए यात्रा/दैनिक भत्ता अध्यक्ष/सचिव/स्थापना अनुभाग को | 26,868-25 | | | |
| परिषद् के सदस्यों को | 1,43,809-50 | | | |
| कार्यकारिणी समिति के सदस्यों को | 30,809-50 | | | |
| शिक्षा समिति (आयु.) के सदस्यों को | 26,070-00 | | | |
| शिक्षा समिति (यूनानी) के सदस्यों को | 24,786-00 | | | |
| शिक्षा समिति (सिद्ध) के सदस्यों को | 2,424-00 | | | |
| पंजीयन समिति के सदस्यों को | 23,601-00 | | | |
| उप-समिति के सदस्यों को | 26,569-00 | | | |
| परिदर्शन समिति के सदस्यों को | 24,207-90 | 3,29,145-15 | | |
| सामूहिक बीमा योजना के लिए जीवन बीमा निगम को अदा की गई राशि | | 5,280-00 | | 1320-00 |
| आयकर प्रेषण श्री आर. के. जैन व श्री एम्. के. सिंह के वर्ष 87-88 के आयकर का आयकर विभाग को भुगतान | | 8,683-00 | | |
| सामान्य भविष्य निधि में अदा की गई राशि | | | | |
| ब्याज के लिए | 20,266-30 | | | 2,669-80 |
| श्री आर. के. जैन के संशोधित वेतनमान का अवशेष | 3,237-00 | 23,503-30 | | |
| पेंशन निधि में अदा की गई राशि | | 1,03,608-00 | | 32,869-00 |
| व्यय से आय की अधिकता | | 12,840-31 | | |
| कुल | | 12,47,323-51 | | 2,30,276-85 |

26.40

| | | | |
|---------------------------|---------------|------------------|-------------|
| पीछे से लाया गया शेष | 42,790.56 | 11,80,857.70 | 2,30,021.74 |
| भवन किराया | 23,500.00 | | |
| साईकिल अग्रिम पर ब्याज से | 30.00 | | |
| स्कूटर अग्रिम पर ब्याज से | <u>145.25</u> | <u>66,465.81</u> | |
| आय पर व्यय की अधिकता | — | — | 255.11 |

26.5

कुल

12,47,323-512,30,276-85

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्

नई दिल्ली-110055

31 मार्च, 1988 को यथा तुलन-पत्र

गैर-योजना

योजना

| दायित्व | राशि | राशि | राशि | राशि |
|---|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| सामान्य आरक्षित | | | | |
| स्थापना के दिन प्राप्त परिसम्पत्तियां | | 20,080-15 | - | |
| शासकीय अनुदान से प्राप्त परिसम्पत्तियां | | | | |
| गत तुलन-पत्र के अनुसार | 2,48,995-33 | | 2,48,122-48 | |
| जोड़ें-वर्ष के दौरान पूंजीगत अनुदान | 825-30 | | 1,03,298-26 | |
| | <u>2,49,820-63</u> | | | |
| घटाएं-विमोचित परिसम्पत्तियां | 12,311-12 | 2,37,509-51 | 3,51,420-74 | |
| उपकुल | | 2,57,589-66 | | 3,51,420-74 |
| गत तुलन-पत्र के अनुसार | | | | |
| व्यय से आय की अधिकता | 57,386-71 | | 14,016-59 | |
| वर्ष के दौरान व्यय से | | | | |
| आय की अधिकता | <u>12,840-31</u> | | - | |
| | 70,227-02 | | 14,016-59 | |
| वर्ष के दौरान आय से | | | | |
| व्यय की अधिकता | - | 70,227-02 | <u>255-11</u> | 13,761-48 |
| प्रकीर्ण लेनदार | | | | |
| (क) उचन्त खाता | | | | |
| गत तुलन-पत्र के अनुसार | 22-19 | | | |
| वर्ष के दौरान जोड़ा गया | <u>759-00</u> | 781-19 | <u>1,221-00</u> | 1,221-00 |
| (ख) डी ए वी पी. को विज्ञापन के लिए | | | | |
| गत तुलन-पत्र के अनुसार | - | - | - | 1,61,973.52 |
| (ग) विश्व स्वास्थ्य संगठन | | | | |
| तुलन-पत्र 85-86 के अनुसार | 3,33,500.00 | | | |
| घटाएं-वर्ष 86-87 तक विमोचित | <u>3,15,500.00</u> | 18,000.00 | - | |
| सामान्य भविष्य निधि | | 2,60,707.87 | | - |
| पेंशन निधि | | 3,48,665.97 | | - |
| अग्रेनीत शेष | | <u>9,55,971.71</u> | | <u>5,28,376.74</u> |

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्
नई दिल्ली-110055

31 मार्च, 1988 को यथा तुलन-पत्र

गैर-योजना

योजना

| परिसम्पत्ति | राशि | राशि | राशि | राशि |
|---|-----------------------------|-------------|--------------------------|-------------|
| (क) अनावर्तक प्रकृति | | | | |
| (i) फर्नीचर एवं उपस्कर गत तुलन-पत्र के अनुसार | | 76,564-68 | | 25,205-18 |
| (ii) पुस्तकालय के लिए पुस्तकें गत तुलन-पत्र के अनुसार वर्ष के दौरान जोड़ा गया | 19,125-91 <u>825-30</u> | 19,951-21 | | |
| (iii) वातानुकूल उपकरण गत तुलन-पत्र के अनुसार वर्ष के दौरान जोड़ा गया | 38,537-53 <u>—</u> | 38,537-53 | 18,655-00 | 18,655-00 |
| (iv) कार्यालय उपकरण गत तुलन-पत्र के अनुसार वर्ष के दौरान जोड़ा गया | 1,34,847-36 <u>—</u> | | 2,22,917-30 84,643-26 | |
| | 1,34,847-36 | | 3,07,560-56 | |
| घटाएँ वर्ष के दौरान विमोचित परिसम्पत्तियां | 12,311-12 | 1,22,536-24 | <u>—</u> | 3,07,560-56 |
| उपकुल | | 2,57,589-66 | | 3,51,420-74 |
| (ख) आवर्तक प्रकृति | | | | |
| ऋण एवं अग्रिम | | | | |
| (क) कर्मचारियों को अग्रिम | | | | |
| (i) पर्व अग्रिम गत तुलन-पत्र के अनुसार वर्ष के दौरान जोड़ा गया | 3,520-00 <u>6,000-00</u> | | 2,800-00 | |
| | 9,520-00 | | 2,800-00 | |
| घटाएँ-वर्ष के दौरान की गई वसूली | <u>5,120-00</u> | 4,400-00 | <u>1,960-00</u> | 840-00 |
| अग्रणीत शेष | | 2,61,989.66 | | 3,52,260.74 |

पीछे से लाया गया शेष

9,55,971.71

5,28,376.74

कुल

9,55,971.71

5,28,376.74

| | | | | |
|---------------------------------|-------------|--------------------|-----------|--------------------|
| पीछे से लाया गया शेष | | 2,61,989.66 | | 3,52,260.74 |
| (ii) साईकिल अग्रिम | | | | |
| गत तुलन-पत्र के अनुसार | 240-00 | | | |
| घटाएं-वर्ष के दौरान की गई वसूली | 240-00 | शून्य | - | शून्य |
| (iii) स्कूटर अग्रिम | | | | |
| गत तुलन-पत्र के अनुसार | - | | - | |
| वर्ष के दौरान जोड़ा गया | 16,000-00 | | - | शून्य |
| | 16,000-00 | | - | |
| घटाएं-वर्ष के दौरान की गई वसूली | 8,600-00 | 7,400-00 | - | शून्य |
| (ख) डी. ए. वी. पी. को अग्रिम | | | | |
| गत तुलन-पत्र के अनुसार | | | | 1,61,973.52 |
| (घ) विश्व स्वास्थ्य संगठन | | | | |
| 85-86 के तुलन-पत्र के अनुसार | 3,33,500.00 | | | |
| घटाएं-86-87 तक समायोजित | 3,15,500-00 | 18,000.00 | - | |
| (घ) प्रकीर्ण देनदार | | | | |
| (सदस्यों का यात्रा/दैनिक भत्ता) | | | | |
| गत तुलन-पत्र के अनुसार | 318.90 | | | |
| घटाएं-वर्ष के दौरान समायोजित | 318.90 | शून्य | - | |
| 31.3.88 को नगद तथा | | | | |
| बैंक में शेष | | | | |
| बैंक ऑफ इण्डिया में | 55,127.81 | | 14,142.48 | |
| हस्तगत रोकड़ | 248.50 | | - | |
| हस्तगत डाक टिकटें | 22.90 | | - | |
| फेकिंग मशीन में डाक टिकटें | 3,809-00 | 59,208.21 | - | 14,142.48 |
| सामान्य भविष्य निधि | | 2,60,707.87 | | |
| पेंशन निधि | | 3,48,665.97 | | |
| कुल | | <u>9,55,971.71</u> | | <u>5,28,376.74</u> |

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्,

नई दिल्ली-110055.

सामान्य भविष्य निधि

31 मार्च 1988 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्राप्तियों एवं भुगतानों का लेखा

| प्राप्तियां | | राशि | राशि |
|--|-----------|-----------|-------------|
| बैंक ऑफ इण्डिया के बचत खाते में 1-4-88 को प्रारम्भिक शेष | | | 1,19,302.77 |
| <u>अतिरिक्त कर्मचारी अंशदान</u> | | | |
| गैर-योजना | 23,599.00 | | |
| योजना | 1,575.00 | 25,174.00 | |
| <u>कर्मचारी अंशदान</u> | | | |
| गैर-योजना | 34,211.00 | | |
| योजना | 6,869.00 | 41,080.00 | 66,254.00 |
| <u>कर्मचारियों से ऋण की वसूली</u> | | | |
| गैर-योजना | | 36,700.00 | |
| योजना | | 10,850.00 | 47,550.00 |
| बचत खाता और विशिष्ट जमा योजना पर बैंक से अर्जित ब्याज | | | 17,400.39 |
| परिपक्व मासिक आय प्रमाण-पत्र | | | 1,00,000.00 |
| <u>परिषद् से ब्याज के लिए प्राप्त राशि</u> | | | |
| गैर-योजना | | 20,266.30 | |
| योजना | | 2,669.80 | 22,936.10 |

कुल

3,73,443.26

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्,
नई दिल्ली-110055.
सामान्य भविष्य निधि

31 मार्च 1988 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्राप्तियों एवं भुगतानों का लेखा

| भुगतान | राशि | राशि |
|--|------------------|-------------|
| <u>कर्मचारियों को स्वीकृत किया गया</u> | | |
| अग्रिम | | |
| गैर-योजना | 53,300.00 | |
| योजना | <u>14,800.00</u> | 68,100.00 |
| कर्मचारियों को अन्तिम अदायगी | | |
| श्री आर. के जैन | 30,000.00 | |
| श्री एस. के. सिंह | <u>60,000.00</u> | 90,000.00 |
| मासिक आय प्रमाण-पत्रों में विनियोजन | | 1,00,000.00 |
| राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्रों में विनियोजन | | 75,000.00 |
| बैंक ऑफ इण्डिया के बचत खाते में 30-3-88 को अंतिम शेष | | 22,942.87 |
| सामान्य भविष्य निधि बचत खाते पर अर्जित ब्याज | | |
| परिषद् को भुगतान | | 17,400.39 |

कुल

3,73,443.26

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्

नई दिल्ली-110055

पेंशन एवं ग्रेच्युटी निधि

31 मार्च, 1988 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्राप्तियों एवं भुगतानों का लेखा

| प्राप्तियां | राशि | राशि |
|-------------------------------------|-------------|--------------------|
| बैंक ऑफ इण्डिया के बचत खाते में | | |
| 1-4-87 को प्रारम्भिक शेष | | 83,596.70 |
| गैर-योजना के अन्तर्गत अंशदान | 1,02,408.00 | |
| योजना के अन्तर्गत अंशदान | 32,869.00 | |
| श्री सूबेसिंह से अंशदान | 1,200.00 | 1,36,477.00 |
| बचत लेखा और मासिक आय | | |
| प्रमाण पत्र पर बैंक से अर्जित ब्याज | | 8,592.27 |
| | कुल | <u>2,28,665.97</u> |
| | | |
| भुगतान | | |
| बैंक ऑफ इण्डिया से मासिक आय | | |
| प्रमाण-पत्र में विनिगोजन | | 2,24,000.00 |
| बैंक ऑफ इण्डिया के साथ 30.3.88 | | |
| को अंतिम शेष | | 4,665.97 |
| | कुल | <u>2,28,665.97</u> |

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्


नई दिल्ली-110055

पेंशन एवं ग्रेच्युटी भविष्य निधि


31 मार्च, 1988 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्राप्तियों एवं भुगतानों का लेखा

| भुगतान | | राशि | राशि |
|--------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| <u>सामान्य आरक्षित</u> | | | |
| गत तुलन-पत्र के अनुसार | | 2,03,596.70 | |
| वर्ष के दौरान जोड़ा गया | | | |
| अंशदान | 1,36,477.00 | | |
| ब्याज | <u>8,592.27</u> | <u>1,45,069.27</u> | 3,48,665.97 |
| | | | <u>3,48,665.97</u> |
| | कुल | | |
| <u>परिसम्पत्ति</u> | | | |
| बैंक ऑफ इण्डिया के खाते में | | | 4,665.97 |
| <u>विनियोजन</u> | | | |
| <u>(क) राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र</u> | | | |
| गत तुलन -पत्र के अनुसार | | 1,20,000.00 | |
| वर्ष के दौरान जोड़ा गया | | | 1,20,000.00 |
| <u>(ख) मासिक आय प्रमाण-पत्र</u> | | | |
| गत तुलन-पत्र के अनुसार | | | |
| वर्ष के दौरान जोड़ा गया | | <u>2,24,000.00</u> | 2,24,000.00 |
| | | | <u>3,48,665.97</u> |
| | कुल | | |

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE



CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE



**CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
NEW DELHI-110055**

ANNUAL REPORT FOR THE YEAR 1987-88

The Central Council of Indian Medicine is a statutory body constituted under the Indian Medicine Central Council Act, 1970. The first Council was constituted in 1971. The Council was reconstituted in 1984 vide Government of India Notification in the Gazette of India Extraordinary Part II Section 3, sub section (ii) dated 7.5.1984.

The main objects of the Central Council are as follows:-

- (i) To prescribe minimum standards of education for courses in Indian Systems of Medicine viz. Ayurved, Siddha & Unani.
- (ii) To advise Central Government in matters relating to recognition of medical qualifications of Indian Medicine.
- (iii) To maintain the Central Register of Indian Medicine and revise the register from time to time.
- (iv) To regulate practice in Indian Medicine and prescribe standards of professional conduct, etiquette and code of ethics to be observed by the practitioners.

Since its establishment in 1971, the Central Council has been carrying on and implementing various regulations including the Curriculum and Syllabus in Indian Systems of Medicine viz. Ayurved, Siddha & Unani at Under-graduate and Post-graduate levels.

Almost all the colleges of Indian Systems of Medicine are affiliated to various Universities in the country. These colleges are following the minimum standards of education which include curriculum & syllabus prescribed by the Council.

COMPOSITION OF THE COUNCIL

The following are the members of the Central Council :

AYURVED

1. Dr. D. Radhakrishnamurty
2. Dr. P.B. Satakopacharya
3. Dr. Sukumar Bhattacharjee
4. Dr. Deovrat Narayan Singh
5. Dr. Maheshwar Pandey
6. Dr. Indra Mohan Jha
7. Dr. Alakh Narayan Singh
8. Dr. Janardan N. Dave
9. Dr. D.R. Patel
10. Dr. Krishna Chandra Sharma
11. Dr. Gulshan Rai Sharma
12. Kaviraj Bhupendra Nath Gupt
13. Vaidya Gauri Shankar Dwivedi
14. Vaidya Panchayya Hosmath
15. Dr. A.C. Rahula Kumar
16. Dr. K. Madhavan Nair
17. Vaidya Mahesh Dutt Sharma
18. Dr. Prasanna Kumar Jain
19. Vaidya Harikrishna S. Joshi
20. Dr. S.I. Nagral
21. Dr. G.M. Bhawsar
22. Dr. Swapneswar Panda
23. Vaidya Pramod Kumar Tewari
24. Vaidya Madan Mohan Pushkarna
25. Vaidya Udai Shankar Sharma
26. Vaidya Gokulendra Sharma
27. Dr. V. Narayanaswami
28. Dr. Ram Prakash Gupta
29. Dr. Hukam Chand Sharma
30. Dr. Ram Kumar Sharma
31. Dr. Prem Dutt Sharma
32. Dr. Mahendra Dutt Sharma
33. Dr. Ananda Roy
34. Dr. D. Rangachary
35. Dr. T.K. Talukdar
36. Dr. Kanaksingh Khimabhai Zala
37. Dr. P. Shankaran Nair
38. Vaidya Bhagyawanti Verma
39. Vaidya M.P. Pandey
40. Dr. Suresh Chandra Saxena

41. Dr. Vijay Shankar Trivedi
42. Dr. Sachchidanand Upadhyay
43. Dr. Veni Madhav Shastri
44. Pt. Shivkaran Sharma Chhangani
45. Vaidya P.H. Kulkarni
46. Vaidya S.G. Phadke
47. Vaidya Shriram Sharma
48. Prof. Hari Shankar Sharma
49. Dr. R.D. Sharma
50. Prof. Ram Prakash Swami
51. Dr. R.N. Singh
52. Vaidya S.K. Mishra
53. Vaidya Jagannath Mishra
54. Vaidya Hariharnath Upadhyay
55. Dr. P.K. Debnath
56. Prof. R.C. Chaturvedi
57. Vaidya Hari Narayan Swami
58. Prof. V.J. Thakar
59. Dr. Ramesh Mishra
60. Acharya P.V. Sharma
61. Dr. S.T. Gujar
62. Vaidya Devendra Kumar Triguna
63. Kaviraj Nanak Chand Sharma
64. Vaidya K.S. Varier
65. Dr. B.A. Hiremath
66. Dr. Satyapal Gupta
67. Dr. D.L. Narayana
68. Dr. K. Sadashiv Sharma
69. Vaidya Chandra Sekhar Gaur
70. Kaviraj M.C. Nanda
71. Vaidya P.C. Bhattacharya

UNANI

72. Hakim Mohd. Ashraf Karim
73. Dr. Madan Sarup Gupta
74. Hakim Mohammed Umar
75. Hakim Dharam Chand
76. Dr. Daulat Ram Bharaj
77. Dr. Bansi Lal Pandita
78. Dr. Abdur Rahman
79. Hakim Abdul Mobin Khan

80. Hakim Ved Prakash Sharma
81. Hakim Mohd. Iqbal Khan
82. Prof. Hakim Syed Khaleefathullah
83. Dr. M.T. Khan
84. Hakim Mohd. Ahmed Lari
85. Dr. Syed Shaji Hyder
86. Dr. S.K. Khadri
87. Prof. Hakim Mohd. Taiyab
88. Hakim M.A. Razzack
89. Hakim Abdul Hameed
90. Hakim Faizan Ahmed

91. Hakim Faiyaz Alam
92. Dr. J.D. Sanderwale

SIDDHA

93. Dr. G. Annaswamy
94. Dr. C.P. Ramanathan
95. Dr. A. Anandkumar
96. Dr. K. Palanichamy
97. Dr. P. Kesavpillai

OFFICE BEARERS

The following are the office bearers of the Council:

| | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Prof. Hakim Syed Khaleefathullah | President |
| 2. Dr. Ramkumar Sharma | Vice-President (Ayurved) |
| 3. Dr. A. Anandkumar | Vice-President (Siddha) |
| 4. Hakim M.A. Razzack | Vice-President (Unani) |
| 5. Dr. S.I. Nagral | Chairman, Education Committee (Ayurved) |
| 6. Dr. A. Anandkumar | Chairman, Education Committee (Siddha) |
| 7. Prof. Hakim Mohd. Taiyab | Chairman, Education Committee (Unani) |
| 8. Dr. Prasanna Kumar Jain | Chairman, Registration Committee |
| 9. Vaidya Pt. Mahesh Dutt Shastri | Chairman, Regulation Committee |

As per section 9(1) of IMCC Act, 1970 the Central Council has the following main committees, namely:-

1. Ayurveda Committee
2. Siddha Committee
3. Unani Committee

The above committees consist of members elected under clauses (a),(b) and nominated under clause (c) of sub-section (1) of Section 3 of IMCC Act, 1970 representing the Ayurved, Siddha and Unani systems of medicine.

The Vice-Presidents for each of the Ayurveda, Siddha & Unani systems of medicine elected under sub-section (3) of section 3 are respectively the Chairman of the Committees referred to above.

Subject to such general or specific directions as the Central Council may from time to time give, each committee is competent to deal with any matter relating to Ayurved, Siddha & Unani systems of medicine, as the case may be, within the competence of the Central Council.

The Central Council also constituted the following Committees under section 10 of the IMCC Act, 1970 to carry out various functions.

EXECUTIVE COMMITTEE

The Executive Committee was constituted in accordance with regulation No. 5 of the Central Council of Indian Medicine (General) Regulations, 1976 to discharge the functions of the Council within the framework of the Act and the rules and regulations made thereunder in accordance with the general policy and principles laid down by the Central Council. The Committee is represented by all the three systems of Indian Medicine i.e. Ayurveda, Siddha & Unani.

The following are the members of the Executive Committee :-

- | | |
|----------|---|
| Chairman | 1. Prof. Hakim Syed Khaleefathullah <i>President</i> |
| Members | 2. Dr. Ram Kumar Sharma <i>Vice-President (Ayurved)</i> |
| | 3. Dr. A. Anandkumar <i>Vice-President (Siddha)</i> |
| | 4. Hakim M.A. Razzack <i>Vice-President (Unani)</i> |
| | 5. Dr. S.T. Gujar |
| | 6. Vaidya Pramod Kumar Tewari |
| | 7. Vaidya Shri Ram Sharma |
| | 8. Dr. K.Madhavan Nair |
| | 9. Prof. Hakim Mohd. Taiyab |
| | 10. Hakim Ved Prakash Sharma |
| | 11. Dr. K. Palanichamy |

REGULATION COMMITTEE

The Regulation Committee was constituted by the Council to draw up the various regulations of the Central Council as required from time to time and to consider various matters relating thereto under the IMCC Act 1970.

The following are the members of the Regulation Committee.

- | | |
|----------|---|
| Chairman | 1. Vaidya Pt. Mahesh Dutt Sharma Shastri |
| Members | 2. Prof. Hakim Syed Khaleefathullah <i>President</i> |
| | 3. Dr. Ram Kumar Sharma <i>Vice-President (Ayurved)</i> |
| | 4. Dr. A. Anandkumar <i>Vice-President (Siddha)</i> |
| | 5. Hakim M.A. Razzack <i>Vice-President (Unani)</i> |
| | 6. Vaidya P.H. Kulkarni |
| | 7. Vaidya Madan Mohan Pushkarna |
| | 8. Vaidya Hari Narain Swami |
| | 9. Dr. Swapneswar Panda |
| | 10. Vaidya Panchayya Hosmath |
| | 11. Dr. Mahendra Dutt Sharma |
| | 12. Dr. Janardan N. Dave |
| | 13. Dr. P.B. Satakopacharya |
| | 14. Dr. Maheshwar Pande |
| | 15. Dr. Gulshan Rai Sharma |
| | 16. Dr. D. Radhakrishnamurthy |
| | 17. Dr. J.D. Sanderwale |
| | 18. Dr. Bansi Lal Pandita |
| | 19. Dr. Abdur Rahman |
| | 20. Hakim Dharam Chand |

REGISTRATION COMMITTEE

The Council constituted a Registration Committee to look into the matters relating to recognition and inclusion of various medical qualifications in the Schedules to IMCC Act, 1970 and to make recommendations on the subject. The consideration of the matters relating to the registration is also under the purview of this Committee.

The following are the members of Registration Committee:-

| | |
|----------|--|
| Chairman | 1. Dr. Prasanna Kumar Jain |
| Members | 2. Prof. Hakim Syed Khaleefathullah <i>President</i> |
| | 3. Dr. Ramkumar Sharma <i>Vice-President (Ayurved)</i> |
| | 4. Hakim M.A. Razzack <i>Vice-President (Unani)</i> |
| | 5. Dr. A Anandkumar <i>Vice-President (Siddha)</i> |
| | 6. Dr. R.C. Chaturvedi |
| | 7. Dr. G.M. Bhawsar |
| | 8. Dr. Krishna Chandra Sharma |
| | 9. Vaidya Hari Krishna S. Joshi |
| | 10. Dr. P.K. Debnath |
| | 11. Dr. Prem Dutt Sharma |
| | 12. Dr. A.C. Rahula Kumar |
| | 13. Dr. D.R. Patel |
| | 14. Dr. B.A. Hiremath |
| | 15. Dr. Ram Prakash Gupta |
| | 16. Dr. Indra Mohan Jha |
| | 17. Dr. Madan Sarup Gupta |
| | 18. Dr. M.T. Khan |
| | 19. Hakim Mohammed Umar |
| | 20. Dr. Daulat Ram Bharaj |
| | 21. Hakim Faizan Ahmed |

EDUCATION COMMITTEES

The Education Committees are competent to deal with all the matters pertaining to Ayurved, Siddha and Unani education respectively.

The following are the members of the Education Committees of Ayurved, Siddha and Unani:-

AYURVED

| | |
|----------|--|
| Chairman | 1. Dr. S.I. Nagral |
| Members | 2. Dr. Ramkumar Sharma <i>Vice-President (Ayurved)</i> |
| | 3. Vaidya Shriram Sharma |
| | 4. Vaidya Devendra Kumar Triguna |
| | 5. Vaidya Pt. Shivkaran Sharma Chhangani |
| | 6. Vaidya Nanak Chand Sharma |

7. Prof. Ram Prakash Swami
8. Vaidya Bhagyawanti Verma
9. Dr. Ram Prakash Gupta
10. Dr. Ananda Roy
11. Vaidya S.G. Phadke
12. Dr. Hukam Chand Sharma
13. Dr. P. Sankaran Nair
14. Vaidya S.K. Mishra
15. Vaidya Jagannath Mishra
16. Prof. P.V. Sharma
17. Dr. Hari Shankar Pandey
18. Dr. Ramesh Mishra
19. Kaviraj B.N. Gupt
20. Dr. V. Narayanswami
21. Dr. P.H. Kulkarni
22. Dr. Vijay Shankar Trivedi
23. Dr. Tarni Kant Talukdar

SIDDHA

- | | |
|----------|-----------------------|
| Chairman | 1. Dr. A. Anandkumar |
| Members | 2. Dr. K. Palanichamy |
| | 3. Dr. G. Annaswamy |

UNANI

- | | |
|----------|---|
| Chairman | 1. Prof. Hakim Mohd. Taiyab |
| Members | 2. Hakim M.A. Razzack <i>Vice-President (Unani)</i> |
| | 3. Hakim Mohd. Ashraf Karim |
| | 4. Hakim Abdul Mobin Khan |
| | 5. Hakim Abdul Hameed |
| | 6. Hakim Faiyaz Alam |
| | 7. Hakim S.K. Khadri |
| | 8. Hakim Mohd. Iqbal Khan |
| | 9. Hakim Mohd. Ahmed Lari |
| | 10. Hakim Madan Sarup Gupta |

During the year 1987-88 the following meetings were held:-

- | | |
|----------------------------------|-------|
| 1. Central Council | One |
| 2. Ayurveda Committee | One |
| 3. Siddha Committee | Two |
| 4. Unani Committee | One |
| 5. Executive Committee | Three |
| 6. Education Committee (Ayurved) | One |
| 7. Education Committee (Unani) | One |

Venkataramana Ayurvedic College, Madras be got visited at the earliest and if required facilities have not been provided as per standards laid down by the Central Council till the visitation, the admission for academic year 1988-89 should not be allowed to take place.

The Central Council approved the recommendations of Ayurved Committee that Universities where Post-graduate Courses in Ayurved are being conducted be requested to send the abstracts of thesis of their Post-graduate scholars.

The Central Council passed the following resolution:-

"Now-a-days, it is observed that a large number of Ayurvedic Graduates and Post-graduate degree holders are not getting job suitable to their training and social status. There are not just enough avenues of employment before them.

Notwithstanding the facts that professional education as in case of Medicine, makes one competent for self employment yet taking various factors into consideration (including low to limited income under which majority of Indians lives) self-employment is increasingly becoming difficult. This coupled with the absence of employment among Ayurvedic Graduates.

This problem has been recognised in 1983 even by the Union Health Minister while replying to a question in December, 1983 in the Parliament.

Therefore, it is urgently required that more and new avenues of employment should be opened by Central and State Governments, Undertakings and enterprises (in public sector, Central as well as State) like Coal India, ONGC, BHEL, SAIL, SEB's, ROADWAYS etc. Only this way future of new graduates and future of system of Ayurved can be ensured.

The Planning Commission is needed to be impressed upon to release additional funds for the remaining period of 7th Five Year Plan and more funds in the 8th Five Year (which is yet to be finalised). The Central Council feels very strongly on this issue and requests the concerned authorities to initiate necessary action without further delay.

VISITATION OF COLLEGES

The following institutions/Ayurvedic Colleges were visited during the year:-

| <i>S.No.</i> | <i>Name of the college</i> | <i>Date of visitation</i> | <i>U.G./P.G.</i> |
|--------------|--|---------------------------|------------------|
| | University of Poona | | |
| 1. | Vasant Dada Patil Ayurved Mahavidyalaya, SANGLI | 2.2.87 | UG |
| 2. | Ayurved Mahavidyalaya OSMANABAD | 31.1.87 | UG |
| 3. | Tilak Ayurved Mahavidyalaya, PUNE | 9.5.87 | PG |

| <i>S.No.</i> | <i>Name of the college</i> | <i>Date of visitation</i> | <i>U.G./P.G.</i> |
|---|--|---------------------------|------------------|
| University of Bombay | | | |
| 1. | Ayurved Mahavidyalaya, Sion, BOMBAY | 23.2.87 | P.G. |
| Marathwada University | | | |
| 1. | Govt. Ayurved College Nanded | 18.6.87 | P.G. |
| University of Rajasthan | | | |
| 1. | Mohta Ayurved College, SADULPUR (Rajasthan) | 22.6.87 | U.G. |
| 2. | Shri Bhanwar Lal Dugar Ayurved Vishwa Bharati, Sardar Sahar (Rajasthan) | 23.6.87 | UG |
| 3. | National Institute of Ayurved, Jaipur | 13.10.87 | P.G. |
| 4. | M.M.M.Govt. Ayurved College, Udaipur | 23.9.87 | P.G. |
| Banaras Hindu University, Varanasi | | | |
| 1. | Faculty of Ayurved, Institute of Medical Sciences, BHU, Varanasi | 24.7.87 | P.G. |

UNANI

1. The Central Council noted that amended regulations pertaining to Post-graduate education in Unani tibb were submitted to the Central Government for their sanction as required under the provisions of IMCC Act, 1970. The Central Government have accorded their sanction vide their letter No. 26014/2/87-AE dated 10.12.87.

2. The Central Council agreed in principle to the proposal of All India Unani Tibbi Conference for introduction of diploma course in Unani Medicine. It was of the view that the duration of the course should be three years and admission qualification High School or equivalent oriental examination. The duration of internship should be 6 months. It was also decided that the syllabus for the same be prepared by the Central Council.

3. The Central Council felt the necessity of teaching/ training in demography and Family Welfare for Unani graduates, hence decided that Demography, Fertility and Organisation and Administration should be assigned to Department of Social and Preventive Medicine and Family Welfare should go to the Gynecology and Obstetrics. However, there should be one paper of 100 marks covering all the syllabus in the Fourth Professional examination.

4. The Central Council decided that Government of Maharashtra, Department of Health be requested not to have the discrimination between the Unani & Ayurvedic Systems and extend uniform financial assistance to both.

5. It was decided that first para of clause (6) Medium of instruction of prescribed regulation of Kamil-e-Tib-O-Jarahat Course be amended as under:-

"Medium of instructions shall be Urdu substantiated with english wherever necessary. Facilities for teaching in Hindi or regional language may be provided and a change in the medium may be adopted, provided the text books in Hindi or regional languages are made available."

6. The Central Council decided that in the states where there is no Unani college, the State Government be requested to establish atleast one Unani college for the development of Unani System of Medicine.

VISITATION OF COLLEGES

The following institutions were visited during the year:

| <i>S.No.</i> | <i>Name of the College</i> | <i>Date of visitation</i> | <i>U.G/P.G</i> |
|--------------|---|---------------------------|----------------|
| 1. | University of Delhi Hamdard Tibbi College, New Delhi. | 09.02.1988 | UG |

SIDDHA

1. The Central Council decided that the syllabus on Demography and Family Welfare prepared in Seminar on Involvement of ISM in Primary Health Care and Family Welfare organised by CCIM on 11th & 12th January, 1986 be included in the syllabus of BSMS Course, under the subjects Sool Maruthuvam & Mahalir Maruthuvam (Obstetrics & Gynaecology), so that the graduates coming out of the Siddha colleges in future will be fully aware and trained in Family Welfare programme.

It was also decided that apart from the above necessary practical training for performing minor surgical operations, Vasectomy, Tubectomy, IUD may be provided in the Hospitals of Siddha System of Medicine so that the graduates of Siddha Maruthuvam may be fully competent in performing these minor operations in the field of Family Welfare and they may be capable to solve the problem of population of the country.

The Central Council accepted the suggestion in principle for opening of a Siddha Medical College in Kerala State. It was decided to request to the Govt of Kerala for the same for appropriate action.

The Central Council decided that the Central Government be requested to establish a National Institute of Siddha Medicine at Madras. A Siddha Medical College in Madras can be established without any difficulty in a phased programme and this will increase the members of the Siddha system in the Central Council of Indian Medicine.

It was noted that Siddha system has been recognised by the Government of India but no Central Government Health Scheme dispensary in Siddha in the capital of this country has been established. The Central Council strongly recommends to the Government of India for establishment of C.G.H.S. (Siddha) dispensary in all States of the country.

The Central Council noted that no provision for (Departmentwise) staffing pattern under regulation pertaining to Post-graduate (Siddha) was made whereas the same was provided under Post-graduate education for Ayurved & Unani. Therefore, the staffing pattern etc. for Siddha Post-graduate course was made on the basis of Ayurved & Unani Post-graduate education regulations.

The Central Council decided that Thiru S. Loganathan a refugee from Sri Lanka be allowed for admission in the IIIrd year of BSMS Course so that the duration of the study in India should remain of 5-1/2 years. It was also decided that he should appear in IIIrd year examination like other IIIrd year students of Siddha degree course of BSMS.

The Central Council noted that four candidates refugees from Sri Lanka requested to continue their studies at Govt. Siddha Medical College, Palayamkottai in BSMS course as a special case because they had to discontinue their final year DAMS Course at Siddha Ayurvedic College, Jaffna, (Sri Lanka).

It was decided that these students be admitted if seats are available in the same year in which they were passed in Sri Lanka after clearing admission test to be conducted by Madurai Kamraj University, Madurai.

The Central Council authorised the Secretary, CCIM to prepare Hindi translation of the curriculum & syllabus for Under-graduate & Post-graduate courses of Siddha by consulting persons experts in Siddha terminology under the guidance of the Chairman of Siddha Committee.

It was decided that the Post-graduate students of Siddha be given stipend equivalent to the stipend paid to Post-graduate students of Ayurveda by Banaras Hindu University. Besides, the Post-graduate students may be provided financial help to conduct study tour by the Govt. of Tamilnadu. The above recommendations be forwarded to Govt. of Tamilnadu for implementation.

The Central Council recommended to the Govt. of India to constitute a Siddha Text Book publication Committee consisting of experts of Siddha system of medicine of the Central Council of Indian Medicine in which two Siddha experts from the Siddha College be nominated by the Govt. of Tamilnadu.

It was decided that the Govt. of India be requested to constitute a cell with Siddha experts alongwith Hindi and English translator to translate the Siddha Text Books into English and Hindi.

The Central Council resolved to create one post of Asstt. Registrar for Siddha system in the office of the Central Council of Indian Medicine to look after the work relating to the Siddha Education and other matters as at present there is no person in the office to look after work relating to Siddha medicine.

The visitation report of the following Siddha college was considered by the Central Council during the year:-

| <i>Name of the College</i> | <i>Date of Visitation</i> | <i>UG/PG</i> |
|---|---------------------------|--------------|
| Madurai Kamraj University Govt. Siddha Medical College, Palani | 6.3.86 | UG |

GENERAL

The Central Council noted that a meeting was held in the Ministry of Health & Family Welfare on 15.1.88 to discuss the question of training of Indian System of Medicine & Homoeopathy practitioners in Family Welfare Programme.

The recommendations of the above meeting were considered by the main committees of Central Council of Indian Medicine i.e. (Ayurveda, Siddha & Unani). The recommendations of Ayurved, Siddha and Unani Committee are as under:-

AYURVEDA COMMITTEE

"The Ayurveda Committee of CCIM appreciates the efforts of Govt. of India in involving practitioner of ISM in National Family Welfare campaign.

The Ayurveda Committee is of the opinion that the contents of the syllabus of Ayurvedacharya course are adequate to equip the graduates with necessary knowledge regarding Family Welfare. Compulsory posting of the student for one month in Family Welfare clinic should be done during internship. The desiring practitioner who wish to work in this field voluntary or in-service, should be given training for atleast three months in Family Welfare training centre.

Atleast one training centre should be started in each state. Every approved college should have one full fledged Family Welfare clinic to provide facilities for clinical training to bonafide students and to provide services to the needy to conduct clinical trials etc.

Post-graduate diploma in Family Welfare should be started at the earliest. Media should be utilised to highlight the involvement of practitioners of ISM particularly of the area."

UNANI COMMITTEE

"The Unani Committee unanimously agreed to the proposal in principle in view of the utility of the training of Unani graduates in the field of Family Welfare. The involvement of Unani graduates in the field of Family Planning and Welfare is the need of the time and the proposed steps would contribute towards national scheme of Health."

SIDDHA COMMITTEE

The Siddha Committee unanimously agreed in principle to such proposal for training of Siddha graduates in the field of Family Welfare, because it would initiate the involvement of Siddha graduates in the field of Family Planning and Welfare. The Central Council while ratifying the recommendations of the above committees decided that the Executive Committee may keep in mind the recommendations of Ayurved/Unani/Siddha Committee also at the time of finalising the training for ISM graduates.

The Central Council decided that for the growth of Indian Medicine it is necessary that enough number of para-medical personnel in Indian medicine are trained. Such courses can be conducted

only when there is a National Authority to conduct them and extend Registration to trained personnel. It was decided to request the Govt. of India either to empower the CCIM to conduct the Nursing and Pharmacist courses and register them or to take necessary steps for constitution of separate councils for Nursing and Pharmacy.

The Central Council decided that the scheme for refresher courses of Indian Medicine as already implemented and followed by the Ministry of Health & Family Welfare be implemented through Central Council of Indian Medicine.

The Central Council decided to request the Government of India to amend the University Grants Commission Act so that Indian Medicine could be included under the purview of the University Grants Commission and the U.G.C. pay scales could be implemented in Indian System of Medicine colleges.

The Central Government on the advice of the Central Council notified the medical qualifications of ISM in the Gazette of India and included the same in the Second Schedule to the IMCC Act, 1970. During the year following medical qualifications awarded by Universities/institutions mentioned against each were included in the Second Schedule to the IMCC Act, 1970:-

| <i>S.No.</i> | <i>Name of the Awarding Body</i> | <i>Qualification</i> | <i>Year</i> |
|--------------|--|--|-------------------|
| 1. | Examining Body, Ayurvedic & Unani Systems of Medicine, Delhi | Ayurvedacharya (Bachelor of Ayurvedic Medicine & Surgery) BAMS | From 1978 onwards |
| 2. | Examining Body, Ayurvedic & Unani Systems of Medicine, DELHI | Ayurvedacharya (Ayurvedic Bachelor of Medicine & Surgery) ABMS | From 1975 to 1978 |

The preparation and maintenance of the Central Register of Indian Medicine is one of the main functions of the Central Council. The work of preparation of Central Register of Indian Medicine is in progress. Every effort is being made to complete the Central Register shortly.

The Council maintains minimum standards of institutions of ISM by visitation of colleges of ISM by the visitors of Council to assess the availability of minimum requirements laid down by the Council in relation to department, teaching staff, student-bed-ratio, laboratory facilities, library facilities, building, herb garden, pharmacy and hospital facilities etc.

ADMINISTRATION & FINANCE

The Central Council approved the Revised estimates amounting to Rs. 14,28,179.82 for the year 1987-88 and Budget estimates amounting to Rs. 18,15,400.00 for the year 1988-89 under Non Plan. The Council also approved the Revised estimates amounting to Rs. 5,37,045.12 for the year 1987-88 and Budget estimates amounting to Rs. 9,00,000.00 for the year 1988-89 under Plan.

The Central Council approved the revised pay scale to the post of Secretary for implementation in the office of the Central Council of Indian Medicine as recommended by the Fourth Central Pay Commission and sanctioned by Central Government.

It was also decided that Government of India be again requested to approve the pay scale for the Secretary of the CCIM as applicable to the post of Secretary in the Medical Council of India.

BUDGETARY RESOURCES

The Budget estimates and Revised estimates for the year 1987-88 approved by the Council and released/sanctioned by the Government of India are as under:-

| | NON-PLAN | PLAN |
|---|--------------|-------------|
| Revised Estimate 1987-88 (Approved by the Council) | 14,28,179.82 | 5,37,045.12 |
| Revised Estimate 1987-88 (Released by Ministry) | 11,73,000.00 | 3,32,000.00 |
| Budget Estimate 1988-89 (Approved by Council) | 18,15,400.00 | 9,00,000.00 |
| Budget Estimate 1988-89 (Sanctioned by Ministry) | 13,36,000.00 | 9,00,000.00 |

The Central Council is a small organisation. However, every care has been taken to ensure that the reservations made by the Government of India for different categories are maintained. Out of the 30 employees in the Central Council, the reservation made for different categories is as under:-

| | |
|------------------------|---|
| Schedule Caste | 4 |
| Schedule Tribe | 1 |
| Physically Handicapped | 2 |
| Ex-servicemen | 1 |

OFFICE OF THE DIRECTOR OF AUDIT-I
CENTRAL REVENUES
NEW DELHI

Confidential

No. O.A. IV/S.A.R./CCIM/2-7/88-89/1282

Dt. : 25.11.88

To

The Secretary to the Govt. of India,
Ministry of Health & Family Welfare,
(Department of Health),
Nirman Bhawan,
New Delhi.

Sub: Audit Report on the Central Council of Indian Medicine, New Delhi for the year 1987-88
Sir,

I am to enclose a copy of the Certified Annual Accounts of the Indian Medicine New Delhi for the year 1987-88 together with the Audit Report thereon for being laid on the table of Parliament.

2. Two copies of the documents as presented to Parliament may please be forwarded to this office and also to the office of the Comptroller and Auditor General of India, New Delhi indicating the date on which these were presented to Parliament. Hindi Version of Audit Report together with audit certificate will follow on receipt of 5 copies of accounts in Hindi from the Council.

3. The para 4 of the Audit Report regarding irregular transfer of Rs. 2,45,192.88 from Grant-in-aid to Pension Fund from 1983-84 and onwards, is specifically brought to the notice of the Ministry for urgent action at their end.

Please acknowledge receipt.

Thanking you,

Yours faithfully,
sd/-

Deputy Director of Audit
(Inspection-II).

No. O.A. IV/S.A.R./CCIM/2-7/88-89/1283 Dt. 25.11.88

Copy together with a copy of the certified accounts alongwith audit report thereon forwarded to the Registrar cum Secretary, Central Council of Indian Medicine 1-E/6 Swami Ramtirth Nagar, New Delhi for necessary action. The Date on which the certified accounts for the year 1987-88 were considered may please be intimated to this office. Five copies of the annual accounts in Hindi may please be furnished to this office to issue Hindi Version of Audit Report.

Deputy Director of Audit,
(Inspection-II).

No. O.A. IV/S.A.R./CCIM/2-7/88-89/1284. Dt.

Copy alongwith a copy of the Audit Certificate and audit report forwarded to the Comptroller and Auditor General of India, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi with reference to Headquarter's Office letter No. 413-Rep (AB)/157-88 dt. 3.11.88

A statement incorporating replies to Headquarters office Comments/observations is enclosed.

sd/-

Deputy Director of Audit,
(Inspection-II).

AUDIT CERTIFICATE

I have examined the accounts and the Balance Sheet of the Central Council of Indian Medicine for the year ending 31st March, 1988. I have obtained all the information and explanations that I have required, and subject to the observations in the appended Audit Report, I certify as a result of my audit, that in my opinion, these accounts and the Balance Sheet are properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Council according to the best of my information and explanations given to me and as shown in the books of the Council.

Sd/-
DIRECTOR OF AUDIT I,
CENTRAL REVENUES

Place: New Delhi
Date : 25.11.88

AUDIT REPORT ON CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE NEW DELHI FOR THE YEAR 1987-88

COMMENTS OF AUDIT REPORT

1. The Central Council of Indian Medicine (Central Council) was established in 1971 under the Indian Medicine Central Council Act, 1970 with the objects of prescribing minimum standards of education for courses in Indian Systems, to maintain the Central Register of Indian Medicine etc. and other matters connected therewith. The Council is financed mainly by grants from the Govt. of India. The Council received grants amounting to Rs. 11.73 lakhs under non-plan and Rs. 3.32 lakhs under Plan during the 1987-88.

2. The Council is to maintain proper accounts in such form as may be prescribed under the Bye-laws of the Council with the approval of Govt. It was, however, noticed that the form of Account had not yet been prescribed in the by laws. The Council stated (November 1988) that the action in this regard has already been initiated.

3. One of the main objects of the Council is to maintain a Central Register of Indian Medicine which should contain the names of all persons who are for the time being enrolled on any State Register of Indian Medicine and who possess any of the recognised Medical qualifications. Such a register is deemed to be a public document within the meaning of the Indian Evidence Act, 1872 (1 to 1872) and may be proved by a copy published in the Gazette of India. But it was noted that no such register was being maintained by the Council. It was stated by the Council that the posts for this work were sanctioned in March 86 and were filled in December, 1986. The Council further stated (November 1988) that for this purpose a special cell was constituted, besides, all States Boards were being

COMMENTS OF COUNCIL

1. No comments

2. The Government of India has been requested vide letter No-10-14/88-Accts. dated 28.6.88 to furnish the form of account duly approved by the Govt. of India in consultation with the Comptroller and Auditor General of India. As soon form of accounts duly approved by Government are received the Director of Audit will be intimated accordingly.

3. 45,780 index cards have been typed for preparation of Central Register of Indian Medicine. Most of the State Boards have not furnished their State Registers of practitioners of Indian Medicine in accordance with the prescribed form. The name of each practitioner alongwith his particulars is being checked carefully. These State Boards are being reminded regularly to furnish their State Registers. A special cell has been created in the office of the Council for speedy preparation of Central Register of Indian Medicine. The progress made in this regard is being watched very carefully.

requested to furnish their State Registers of Practitioners. The progress made was being watched regularly.

4. Pension-cum-Gratuity Scheme including Family Pension Scheme was introduced in the Central Council with effect from the 1st April, 1983. According to the terms and conditions, this Scheme was to be financed out of the Pension Fund to be created from funds already available with the Council on account of employer's contributions to the contributory Provident Fund as on 31st March 1983 and interest on investment of such contributions. No additional grants for augmenting the Pension Fund were to be released by the Central Government. It was observed that the Council had transferred a sum of Rs. 0.67 lakhs to Pension Fund as its share of Contributory Provident Fund contributions between the years 1983-84 to 1986-87 as detailed below:-

| | |
|---------|-----------|
| 1983-84 | 14,568.38 |
| 1984-85 | 13,880.50 |
| 1985-86 | 14,656.00 |
| 1986-87 | 23,611.00 |
| | <hr/> |
| | 66,715.88 |

A sum of Rs. 42,000/- from grants in aid was also transferred to the Pension Fund during 1986-87.

Despite this having been pointed out in the previous years Audit Report, the Council had further deposited during 1987-88 an amount of Rs. 1,36,477/- from grants-in-aid to the Pension Fund.

This had resulted in an overdrawal of grants to the tune of Rs. 2,45,192.88. The Council stated (November, 1988) that a sum of Rs. 1,36,000.00 (Out of Rs. 2,45,192.88) which was diverted in Pension Fund out of Grant-in-aid during the years 1986-87 & 87-88 had been transferred from Pension Fund to Council's Current Account. The Council further stated that as regards employer's contribution from 1983-84 and onwards the matter was taken up with the Ministry.

Sd/-
DIRECTOR OF AUDIT-I
CENTRAL REVENUES.

Place : New Delhi
Date : 25.11.88

4. Out of Rs. 2,45,192.88 diverted to Pension Fund out of Grant-in-aid a sum of Rs. 1,36,000.00 (Rs. 26,000.00 from Plan and Rs. 1,10,000.00 from Non Plan) has been transferred to Council's current account. A sum of Rs. 26,000.00 (Plan) has already been adjusted against the Grant-in-aid for the year 1988-89 vide Ministry of Health & Family Welfare, New Delhi letter No.V.26019/1/88-AE dated 24.11.88. As regard the adjustment of Rs. 1,10,000.00 (Non Plan) the Council has already requested the Ministry vide Council letter No.10-10/88-Accts. dated 29.12.88 to adjust the amount against the Grant-in-Aid (Non Plan) for 1988-89. For regularising the remaining amount of Rs. 1,09,192.88 on account of employer's contribution from 1983-84 to 1987-88 and onwards to Pension Fund, the issue has already been taken up with the Government of India.

**CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
NEW DELHI-110055**

RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE ENDED YEAR 31st MARCH, 1988.

| RECEIPTS | NON-PLAN | | PLAN | |
|--|-----------------|---------------------|-----------|--------------------|
| | AMOUNT | AMOUNT | AMOUNT | AMOUNT |
| <u>Opening Balance as on 1.4.87</u> | | | | |
| Bank Balance in C.A/c with Bank of India | 49,143.48 | | 14,016.59 | |
| Cash in hand | 192.00 | | -- | |
| Stamps in hand | -- | | -- | |
| Stamps in Franking Machine | <u>3,994.52</u> | 53,330.00 | <u>--</u> | 14,016.59 |
| Grant-in-aid received from Ministry of Health & Family Welfare, New Delhi during 87-88 | -- | 11,73,000.00 | | 3,32,000.00 |
| Amount received from Sports Goods Export Promotion Council against electric expenses | -- | 5,538.77 | -- | -- |
| Amount received from sale of old Newspapers/Raddi | -- | 355.50 | -- | -- |
| Amount received from sale of unserviceable articles | -- | 8,000.00 | -- | -- |
| Amount received by Bank of 86-87 | -- | 0.70 | -- | -- |
| Application fees received for the post of Lower Division Clerks | -- | 1,310.00 | | |
| Amount received from employees for Group Insurance Scheme | -- | 5,280.00 | | 1,320.00 |
| Amount received from Sh. R.K. Jain & Sh. S.K. Singh for deposit Income Tax 1987-88 | -- | 8,683.00 | -- | -- |
| Amount received from Dr. A.Anand Kumar against excess payment in 1986-87 | -- | 318.90 | -- | -- |
| Amount received from Dr. G.S. Reena against excess payment in 86-87 | -- | 283.90 | -- | -- |
| Amount received from employees of Private Trunk Call charges | -- | 136.00 | -- | -- |
| <u>Recovery made from employees</u> | | | | |
| Festival Advance | 5,120.00 | | 1,960.00 | |
| Cycle Advance | 240.00 | | -- | |
| Scooter Advance | 8,600.00 | | -- | |
| Interest on Cycle Advance | 30.00 | | -- | |
| Interest on Scooter Advance | 145.25 | 14,135.25 | <u>--</u> | 1,960.00 |
| | | <u>12,70,372.02</u> | | <u>3,49,296.59</u> |
| Balance c/f | | | | |

**CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
NEW DELHI-110055**

RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE ENDED YEAR 31st MARCH, 1988.

| PAYMENTS | NON-PLAN | | PLAN | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | AMOUNT | AMOUNT | AMOUNT | AMOUNT |
| <i>I Pay & Allowance</i> | | | | |
| Pay of Officers | 39,730.00 | | -- | |
| Pay of Establishment | 3,51,017.60 | | 1,08,433.00 | |
| Dearness Allowance | 54,813.70 | | 12,421.20 | |
| House Rent Allowance | 86,838.50 | | 24,000.00 | |
| City Compensatory Allowance | 14,468.45 | | 4,320.00 | |
| Washing Allowance | 1,035.00 | | 315.00 | |
| Interim Relief | 1,125.00 | | -- | |
| Bonus | 20,197.20 | | 4,799.00 | |
| Medical Reimbursement | 168.55 | | 2,338.20 | |
| Extra Duty Allowance | 1,177.25 | | -- | |
| Tuition Re-imburement | 70.00 | | -- | |
| Leave Travel Concession | 4,195.80 | | -- | |
| Salary to PA of President | 3,000.00 | | -- | |
| ADA paid to employees who left the service | 3,285.30 | 5,81,122.35 | -- | 1,56,626.40 |
| <i>II Contingencies</i> | | | | |
| <i>(a) Recurring Expenditure</i> | | | | |
| Stationary | 17,030.56 | | 3,129.75 | |
| Telephones | 18,622.80 | | 1,531.00 | |
| Postage & Telegrams | 8,577.97 | | -- | |
| Newspapers & Periodical Books | 2,538.35 | | 3,600.00 | |
| Printing Expenses | 2,326.50 | | -- | |
| Electric Expenses | 11,783.83 | | -- | |
| Bank Charges | 33.00 | | -- | |
| Conveyance Expenses | 3,843.20 | | -- | |
| Sunderies including liveries | 30,037.25 | | 8,213.90 | |
| Maintenance of office equip. | 12,364.94 | | 3,870.00 | |
| Building Rent | 75,983.00 | | -- | |
| Advertisement | -- | | 3,582.00 | |
| Legal Expense | -- | 1,83,141.40 | 12,865.00 | 36,791.65 |
| <i>(b) Non-Recurring Expenditure</i> | | | | |
| Books for Library | 825.30 | | -- | |
| Office equipments | -- | | 84,643.26 | |
| Air cooling Appliances | -- | 825.30 | 18,655.00 | 1,03,298.26 |
| Balance c/f | | 7,65,089.05 | | 2,96,716.31 |

| | | |
|--|--------------|-------------|
| Balance b/f | 12,70,372.02 | 3,49,296.59 |
| Accured Interest received from General Provident Fund | 17,400.39 | |
| Amount received from Sh. Sube Singh for pension fund | 1,200.00 | |
| Amount of ADA received from Provident Fund Commissioner who left the service | 3,285.30 | |
| Amount of Building rent credited of 1986-87 | 23,500.00 | |
| Suspense Account | 759.00 | 1,221.00 |

TOTAL

13,16,516.71

3,50,517.59

| | | | | |
|--|-------------|--------------|-----------|-------------|
| Balance B/F | | 7,65,089.05 | | 2,96,716.31 |
| <u>III TA/DA to members/Secretary/ Estt. for various meetings.</u> | | | | |
| President/Secretary/Estt. | 26,868.25 | | -- | |
| Members of Council | 1,43,809.50 | | -- | |
| Members of Executive Com. | 30,809.50 | | -- | |
| Members of Edu. Committee (AY) | 26,070.00 | | -- | |
| Members of Edu. Committee (U) | 24,786.00 | | -- | |
| Members of Edu. Committee (S) | 2,424.00 | | -- | |
| Members of Regn. Committee | 23,601.00 | | -- | |
| Members of Sub Committee | 26,569.00 | | -- | |
| Members of Visiting Committee | 24,207.90 | 3,29,145.15 | | |
| <u>IV Loan & Advances to Employees</u> | | | | |
| Festival Advance | 6,000.00 | | 2,800.00 | |
| Scooter Advance | 16,000.00 | 22,000.00 | -- | 2,800.00 |
| <u>V-Paid to LIC</u> | | | | |
| for Group Insurance Scheme | -- | 5,280.00 | -- | 1,320.00 |
| <u>VI Remittance of Income Tax</u> | | | | |
| Paid Income Tax of Sh. R.K. Jain & Sh. S.K. Singh 1987-88 | | 8,683.00 | | -- |
| <u>VII Amount paid to G.P. Fund</u> | | | | |
| for Interest | -- | 20,266.30 | -- | 2,669.80 |
| <u>VIII Amount paid to Pension Fund</u> | | | | |
| | | 1,03,608.00 | -- | 32,869.00 |
| <u>IX Amount paid to G.P. Fund</u> | | | | |
| | | 3,237.00 | -- | |
| <u>Closing Balance as on 31.3.88</u> | | | | |
| Bank Balance in Current A/c with Bank of India | 55,127.81 | | 14,142.48 | |
| Cash in hand | 248.50 | | -- | |
| Stamps in hand | 22.90 | | -- | |
| Stamps in Franking Machine | 3,809.00 | 59,208.21 | -- | 14,142.48 |
| | | | | |
| TOTAL | | 13,16,516.71 | | 3,50,517.59 |

**CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
NEW DELHI-110055**

INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE ENDED YEAR 31st MARCH, 1988

| EXPENDITURE | NON-PLAN | | PLAN | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | AMOUNT | AMOUNT | AMOUNT | AMOUNT |
| <i><u>I Pay & Allowances</u></i> | | | | |
| Pay of Officers | 39,730.00 | | -- | |
| Pay of Establishment | 3,51,017.60 | | 1,08,433.00 | |
| Dearness Allowance | 54,813.70 | | 12,421.20 | |
| House Rent Allowance | 86,838.50 | | 24,000.00 | |
| City Compensatory Allowance | 14,468.45 | | 4,320.00 | |
| Washing Allowance | 1,035.00 | | 315.00 | |
| Interim Relief | 1,125.00 | | -- | |
| Bonus | 20,197.20 | | 4,799.00 | |
| Medical Re-imburement | 168.55 | | 2,338.20 | |
| Extra Duty Allowance | 1,177.25 | | -- | |
| Tution-Re-imburement | 70.00 | | -- | |
| Leave Travel Concession | 4,195.80 | | -- | |
| Salary to PA of President | 3,000.00 | | -- | |
| ADA paid to employees who left the service | 3,285.30 | 5,81,122.35 | -- | 1,56,626.40 |
| <i><u>II Contingencies</u></i> | | | | |
| Stationery | 17,030.56 | | 3,129.75 | |
| Telephones | 18,622.80 | | 1,531.00 | |
| Postage & Telegrams | 8,577.97 | | -- | |
| Newspapers & Periodical Books | 2,538.35 | | 3,600.00 | |
| Printing Expenses | 2,326.50 | | -- | |
| Electric Expenses | 11,783.83 | | -- | |
| Bank Charges | 33.00 | | -- | |
| Conveyance Expenses | 3,843.20 | | -- | |
| Sundries including liveries | 30,037.25 | | 8,213.90 | |
| Building Rent | 75,983.00 | | -- | |
| Maintenance of office equip. | 12,364.94 | | 3,870.00 | |
| Advertisement | -- | | 3,582.00 | |
| Legal Expenses | -- | 1,83,141.40 | 12,865.00 | 36,791.65 |
| Balance C/F | | 7,64,263.75 | | 1,93,418.05 |

**CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
NEW DELHI-110055**

INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE ENDED YEAR 31st MARCH, 1988

| INCOME | NON-PLAN | | PLAN | |
|--|---------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | AMOUNT | AMOUNT | AMOUNT | AMOUNT |
| Grant in aid received from Ministry of Health & Family Welfare New Delhi during 1987-88 | 11,73,000.00 | | 3,32,000.00 | |
| Less-Grant-capitalised | <u>825.30</u> | 11,72,174.70 | <u>1,03,298.26</u> | 2,28,701.74 |
| Amount received for Income Tax from Sh. R.K. Jain & Sh. S.K. Singh 1987-88 | — | 8,683.00 | — | — |
| <i>Miscellaneous Receipts</i> | | | | |
| Electric Expenses from Sports Goods Export Promotion Council | 5,538.77 | | -- | |
| Sale of Old Newspaper/Raddi | 355.50 | | -- | |
| Sale of Unserviceable articles | 8,000.00 | | -- | |
| Bank for 1986-87 | 0.70 | | -- | |
| Application Fees for Post of L.D.C. | 1,310.00 | | -- | |
| Group Insurance Scheme | 5,280.00 | | 1,320.00 | |
| Dr. G.S. Reena (Excess Recovery) | 283.90 | | -- | |
| Private Trunk Call Charges | 136.00 | | -- | |
| Interest from G.P. Fund | 17,400.39 | | -- | |
| Pension amount from Sh. Sube Singh | 1,200.00 | | -- | |
| ADA from Provident Fund Commissioner | 3,285.30 | | -- | |
| Building Rent | 23,500.00 | | -- | |
| Interest on Cycle Advance | 30.00 | | <u> </u> | 1,320.00 |
| Interest on Scooter Adv. | <u>145.25</u> | 66,465.81 | | |
| Excess of Expenditure over Income | | -- | | 255.11 |
| Balance C/f | | <u>12,47,323.51</u> | | <u>2,30,276.85</u> |

| | | | | |
|--|-------------|--------------|----------|-------------|
| Balance B/F | | 7,64,263.75 | | 1,93,418.00 |
| <u>III TA/DA to Members/Secretary/Estt for various meetings.</u> | | | | |
| President/Secretary/Estt. | 26,868.25 | | | |
| Members of Council | 1,43,809.50 | | | |
| Members of Executive Committee | 30,809.50 | | | |
| Members of Education Committee (AY) | 26,070.00 | | | |
| Members of Education Committee (Unani) | 24,786.00 | | | |
| Members of Education Committee (Siddha) | 2,424.00 | | | |
| Members of Registration Committee | 23,601.00 | | | |
| Members of Sub Committee | 26,569.00 | | | |
| Members of Visiting Committee | 24,207.90 | 3,29,145.15 | | |
| <u>IV Amount paid to L.I.C.</u> | | | | |
| For Group Insurance Scheme | | 5,280.00 | | 1,320.00 |
| <u>V Remittance of Income Tax</u> | | | | |
| Amount paid for Income Tax of Sh. R.K. Jain and Sh. S.K. Singh 1987-88 | | 8,683.00 | | |
| <u>VI Amount paid to General Provident Fund</u> | | | | |
| For Interest | 20,266.30 | | 2,669.80 | |
| Arrears of Revision of Pay scale of Sh. R.K. Jain | 3,237.00 | 23,503.30 | -- | 2,669.00 |
| <u>VII Amount paid to Pension Fund</u> | | | | |
| Excess of Income over Expenditure | | 12,840.31 | | 32,869.00 |
| TOTAL | | 12,47,323.51 | | 2,30,276.00 |

Balance B/F

12,47,323.51

2,30,276.85

TOTAL

12,47,323.51

2,30,276.85

**CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
NEW DELHI-110055**

BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH, 1988

| LIABILITIES | NON-PLAN | | PLAN | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | AMOUNT | AMOUNT | AMOUNT | AMOUNT |
| GENERAL RESERVE | | | | |
| Assets acquire the day of Estt. | | 20,080.15 | | |
| <u>Assets acquire out of Govt. Grant</u> | | | | |
| As per last Balance Sheet | 2,48,995.33 | | 2,48,122.48 | |
| Add-Grant capitalise during the year | 825.30 | | 1,03,298.26 | |
| | 2,49,820.63 | | 3,51,420.74 | |
| Less-Assets Redeemed | 12,311.12 | 2,37,509.51 | -- | 3,51,420.74 |
| | | | | |
| Sub Total | | 2,57,589.66 | | 3,51,420.74 |
| | | | | |
| Excess of Income over Expn. as per last Balance Sheet | 57,386.71 | | 14,016.59 | |
| Excess of Income over Expn. during the year | 12,840.31 | | -- | |
| | 70,227.02 | | 14,016.59 | |
| Excess of Expenditure over Income during the year | -- | 70,227.02 | 255.11 | 13,761.48 |
| | | | | |
| <u>Sundry Creditors</u> | | | | |
| (A) <u>Suspense Account</u> | | | | |
| As per last Balance Sheet | 22.19 | | -- | |
| Addition during the year | 759.00 | 781.19 | 1,221.00 | 1,221.00 |
| | | | | |
| Balance C/F | | 3,28,597.87 | | 3,66,403.22 |

**CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
NEW DELHI-110055**

BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH, 1988

| ASSETS | NON-PLAN AMOUNT | AMOUNT | AMOUNT | PLAN AMOUNT |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>(A) NON-RECURRING NATURE</i> | | | | |
| <i>(i) Furniture & Fixture</i> | | | | |
| As per last Balance Sheet | | 76,564.68 | | 25,205.18 |
| <i>(ii) Library Books</i> | | | | |
| As per last Balance Sheet | 19,125.91 | | | |
| Addition during the year | <u>825.30</u> | 19,951.21 | | -- |
| <i>(iii) Air Cooling Appliances</i> | | | | |
| As per last Balance Sheet | 38,537.53 | | -- | |
| Addition during the year | -- | 38,537.53 | <u>18,655.00</u> | 18,655.00 |
| <i>(iv) Office Equipments</i> | | | | |
| As per Last Balance Sheet | 1,34,847.36 | | 2,22,917.30 | |
| Addition during the year | -- | | 84,643.26 | |
| | <u>1,34,847.36</u> | | <u>3,07,560.26</u> | |
| Less - Assets redeemed during the year | <u>12,311.12</u> | <u>1,22,536.24</u> | -- | <u>3,07,560.56</u> |
| Sub-Total | | 2,57,589.66 | | 3,51,420.74 |
| <i>(B) RECURRING NATURE</i> | | | | |
| <i>Loans & Advance</i> | | | | |
| <i>(a) Advances to Staff</i> | | | | |
| <i>(i) Festival Advance</i> | | | | |
| As per last Balance Sheet | 3,520.00 | | -- | |
| Addition during the year | <u>6,000.00</u> | | <u>2,800.00</u> | |
| | 9,520.00 | | 2,800.00 | |
| Less Recoveries during the year | <u>5,120.00</u> | 4,400.00 | <u>1,960.00</u> | 840.00 |
| <i>(ii) Cycle Advance</i> | | | | |
| As per last Balance Sheet | 240.00 | | -- | |
| Less Recoveries during the year | <u>240.00</u> | Nil | -- | Nil |
| Balance C/F | | <u>2,61,989.66</u> | | <u>3,52,260.74</u> |

| | | | |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| Balance B/F | | 3,28,597.87 | 3,66,403 |
| (B) <u>Advertisement to DAVP</u> | | | |
| As per Last Balance Sheet | -- | -- | 1,61,973 |
| (C) <u>World Health Organisation</u> | | | |
| As per Balance Sheet 85-86 | 3,33,500.00 | | |
| Less-Redemption upto 86-87 | <u>3,15,500.00</u> | 18,000.00 | |
| General Provident Fund | | 2,60,707.87 | |
| Pension Fund | | 3,48,665.97 | |
| | | <u>9,55,971.71</u> | <u>5,28,376</u> |
| TOTAL | | | |

| | | | | |
|--|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|
| Balance B/F | | 2,61,989.66 | | 3,52,260.74 |
| <i>(iii) Scooter Advance</i> | | | | |
| As per last Balance Sheet | -- | | -- | |
| Addition during the year | 16,000.00 | | | |
| | <u>16,000.00</u> | | | |
| Less Recoveries during the year | 8,600.00 | 7,400.00 | -- | Nil |
| | <u>8,600.00</u> | | | |
| <i>(b) Advance to DAVP</i> | | | | |
| As per last Balance Sheet | -- | -- | -- | 1,61,973.52 |
| <i>(c) World Health Organisation</i> | | | | |
| As per Balance Sheet 85-86 and 86-87 | 3,33,500.00 | | | |
| Less Adjusted upto 86-87 | <u>3,15,500.00</u> | 18,000.00 | -- | -- |
| <i>(d) Sundry Debtors (TA/DA of Members)</i> | | | | |
| As per last Balance Sheet | 318.90 | | | |
| Less-Adjusted during the year | <u>318.90</u> | Nil | -- | -- |
| <u>Cash & Bank Balance as on 31.3.88</u> | | | | |
| With Bank of India | 55,127.81 | | 14,142.48 | |
| Cash in hand | 248.50 | | -- | |
| Stamps in hand | 22.90 | | -- | |
| Stamps in Franking Machine | <u>3,809.00</u> | 59,208.21 | | 14,142.48 |
| General Provident Fund | | 2,60,707.87 | | |
| Pension Fund | | 3,48,665.97 | | |
| TOTAL | | <u>9,55,971.71</u> | | <u>5,28,376.74</u> |

**CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
NEW DELHI-110055**

GENERAL PROVIDENT FUND

Receipts & Payments Account for the year ended 31st March, 1988

| | AMOUNT | PAYMENTS | AMOUNT |
|--|--------------------|---|--------------------|
| RECEIPTS | | | |
| Opening Balance as on 1.4.87 in Saving Bank Account with Bank of India | -- | <u>Loan granted to Employees</u> | |
| | 1,19,302.77 | Non-Plan | 53,300.00 |
| | | Plan | 14,800.00 |
| <u>Additional Subscription</u> | | <u>Final payment to employees</u> | |
| Non-Plan | 23,599.00 | Sh. R.K. Jain | 30,000.00 |
| Plan | 1,575.00 | Sh. S.K. Singh | 60,000.00 |
| | 25,174.00 | | 90,000.00 |
| <u>Subscription by Employees</u> | | Investment in Monthly Income Certificate | 1,00,000.00 |
| Non Plan | 34,211.00 | Investment in National Saving Certificate | 75,000.00 |
| Plan | 6,869.00 | Closing Balance as on 30.3.88 in Saving Bank Account with Bank of India | 22,942.87 |
| | 41,080.00 | Amount of interest earned on G.P.F., SB A/C paid to Council | 17,400.39 |
| <u>Recovery of Loan from Employees</u> | | | |
| Non-Plan | 36,700.00 | | |
| Plan | 10,850.00 | | |
| | 47,550.00 | | |
| Interest earn from Bank on SB A/c, MIC and SDS A/c | 17,400.39 | | |
| Monthly Income certificate matured | 1,00,000.00 | | |
| Amount received from Council for Interest- | | | |
| Non-Plan | 20,266.30 | | |
| Plan | 2,669.80 | | |
| | 22,936.10 | | |
| TOTAL | <u>3,73,443.26</u> | TOTAL | <u>3,73,443.26</u> |

**CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
NEW DELHI 110 055**

PENSION-CUM-GRATUITY FUND

Receipts and Payments Account for the year ended 31st March, 1988

| Receipts | Amount | Amount |
|---|-----------------|--------------------|
| Opening Balance as on 1.4.87 in Saving Bank with Bank of India | | 83,596.70 |
| Contribution from Non Plan Scheme | 1,02,408.00 | |
| Contribution from Plan Scheme | 32,869.00 | |
| Contribution from Shri Sube Singh | <u>1,200.00</u> | 1,36,477.00 |
| Interest earned from Bank on Saving Bank Account & MIC | | 8,592.27 |
| Total | | <u>2,28,665.97</u> |
| | | |
| Payments | Amount | Amount |
| Investment in Monthly Income Certificate from Bank of India | | 2,24,000.00 |
| Closing Balance as on 30.3.88 with Bank of India | | 4,665.97 |
| Total | | <u>2,28,665.97</u> |

**CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
NEW DELHI 110 055**

PENSION-CUM-GRATUITY FUND

Balance Sheet as on 31st March, 1988

| Liabilities | Amount | Amount |
|--|---------------------|---------------|
| <i>General Reserve</i> | | |
| As per last Balance Sheet | 2,03,596.70 | |
| Addition during the year | | |
| Contribution | 1,36,477.00 | |
| Interest | <u>8,592.27</u> | |
| | <u>1,45,069.27</u> | 3,48,665.97 |
| Total | | 3,48,665.97 |
| Assets | | |
| | Amount | Amount |
| In Saving Bank A/c with Bank of India | | 4,665.97 |
| <i>Investment</i> | | |
| <i>(a) National Saving Certificate</i> | | |
| As per last Balance Sheet | 1,20,000.00 | |
| Addition during the year | <u> --</u> | 1,20,000.00 |
| <i>(b) Monthly Income Certificate</i> | | |
| As per last Balance Sheet | <u> --</u> | |
| Addition during the year | <u>2,24,000.00</u> | 2,24,000.00 |
| Total | | 3,48,665.97 |

